रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1661] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2015/श्रावण 16, 1937
No. 1661] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2015 /SRAVANA 16, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2015

का.आ.2155 (अ)- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 285 खक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार व्यक्तियों के पंजीकरण, यथोचित सावधानी और देखभाल और रिपोर्टेबल एकाउंट्स से संबंधित मामलों का बोर्ड आयकर नियमावली में आगे और भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (11 वां संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 (जिसे पश्चात जिसे उक्त नियम कहा गया है) में नियम, 114 ड. के पश्चात निम्नलिखत नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:

114च 'परिभाषाएं- इस नियम तथा नियम 114छ और 114ज के प्रयोजन के लिए

(1) '' वित्तीय लेखा'' से अभिप्रेत है जिसमें किसी वित्तीय संस्था द्वारा अनुरक्षण जाने वाले लेखे (अपवर्जित लेखे के अलावा) से है और इसमें सम्मलित है-

(i) निक्षेपागार लेखा

(ii) अभिरक्षणीय लेखा

(iii) विनिधान अस्तित्व के मामले में वित्तीय संस्था में कोई साम्या अथवा ऋण हित।

स्पष्टीकरण- इस उपखंड के प्रयोजन से 'वित्तीय लेखे' में किसी संस्था की कोई साम्या अथवा ऋण सरोकार सम्मलित नहीं होगा जो कि केवल इन सभी कारणों से एक विनिधान संस्था है।

(क) निवेश संबंधी सलाह देती है और उनकी और से कार्य करती है, अथवा

(ख) ऐसी वित्तीय संस्था जो कि ऐसी संस्था के अलावा एक गैर प्रतिभागी वित्तीय संस्था नहीं है, के ग्राहक के नाम पर जमा वित्तीय आस्तियों के निवेश प्रबंधन अथवा प्रशासन करने के उद्देश्य से ग्राहक के पोर्टफोलियो प्रबंध करती है और उसकी ओर से कार्य करती है;

(iv) उप खंड (iii) में निर्धारित हित नहीं की गई वित्तीय संस्था के मामले में, वित्तीय संस्था में कोई साम्या अथवा ऋण हित, यदि सरोकारों की श्रेणी, नियम 114छ के अनुरूप रिपोर्टिंग से बचने के प्रयोजन से गठित की थी, यू एस रिपोर्ट योग्य लेखे के मामले में, यदि ऋण अथवा शेयरों के सरोकार की कीमत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आस्तियों के संदर्भ में प्राथमिकत: निर्धारित की जाती है जिससे यू एस स्रोत की रोके रखने योग्य भुगतानों में बढ़ोत्तरी होती; और

(v) गैर निवेश से जुड़ी संस्था से अलावा किसी वित्तीय संस्था द्वारा जारी अथवा रख रखाव किए जाने वाला कोई नकद मूल्य वाली बीमा संविदा और कोई वार्षिक वृत्ति संविदा, गैर हस्तांतरणीय तुरंत जीवन वार्षिक वृत्ति, जो कि किसी व्यक्ति को इशु की जाती है, और जो कि एक अपवर्जित लेखे के अन्तर्गत उपबंधित पेंशन अथवा निशक्तता का मुद्रीकरण करती है।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजन के लिए

(क) 'निक्षेपागार'' में, कोई वाणिज्यिक, चैकिंग, बचत, समय, अथवा थ्रिफ्ट लेखा और ऐसा लेखा शामिल है जिसके साथ जमा प्रमाणपत्र, थ्रिफ्ट प्रमाण पत्र, निवेश प्रमाण पत्र, ऋण प्रमाण पत्र, अथवा बैंकारी अथवा इसी तरह के कारोबार के सामान्य परिक्रम में किसी वित्तीय संस्था द्वारा अनुरक्षण किए गए इसी प्रकार के अभिकारक शामिल है और जिसमें ब्याज अदा करने अथवा प्रत्यय करने के लिए प्रत्याभूति निवेश संविदा अथवा इसी प्रकार के करार के अनुक्रम में किसी बीमा कम्पनी द्वारा धनराशि रखी जाती है।

(ख) ''अभिरक्षणीय लेखे'' से अभिप्रेत है ऐसे लेखे (बीमा संविदा अथवा वार्षिक वृत्ति संविदा से भिन्न) से है जो कि किसी अन्य व्यक्ति के फायदा के लिए है जिसके पास एक या अधिक वित्तीय आस्तियां हैं।

(ग) वित्तीय संस्था में ''साम्या ब्याज'' से होते हुए –

(i) एक सांझेदारी फर्म अभिप्रेत सांझेदारी फर्म में पूंजीगत अथवा लाभ का सरोकार;

(ii) किसी न्यास से अभिप्रेत है जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति का सरोकार है जिसे सम्पूर्ण न्यास अथवा उसके किसी हिस्से का अधिवासी अथवा लाभग्राही समझा जाता है अथवा कोई अन्य नैसर्गिक व्यक्ति जो न्यास पर सम्पूर्ण प्रभावी नियंत्रण कर रहा है।

स्पष्टीकरण- किसी व्यक्ति को न्यास का फायदाधारी माना जाएगा यदि उसे आज्ञापक वितरण को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने का अधिकार है अथवा वह न्यास से विवेकाधीन वितरण को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर सकता है।

(घ) '' बीमा संविदा'' से अभिप्रेत ऐसे संविदा से है (वार्षिक वृत्ति संविदा से भिन्न) जिसके अन्तर्गत जारीकर्ता विनिर्दिष्ट आकस्मिता, जिसमें मृत्यु, रूग्णता, दुर्घटना, देयता अथवा आस्ति जोखिम शामिल है, के होने पर एक धनराशि अदा करने के लिए सहमत होता है।

(ङ) '' वार्षिक वृत्ति संविदा'' से अभिप्रेत ऐसी संविदा से है जिसके अन्तर्गत जारीकर्ता, ऐसी समय अवधि के लिए भुगतान करने के लिए सहमत होता है जिसका निर्धारण किसी एक व्यष्टिक या एक से अधिक व्यक्तियों की जीवन प्रत्याशा के संदर्भ में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किया जाता है।

(च) ''नकद मूल्य बीमा संविदा'' से अभिप्रेत ऐसे बीमा संविदा से है (दो बीमा कम्पनियों के बीच क्षतिपूर्ति पुन: बीमा के अलावा है) जिसकी नकद कीमत है और यू एस रिपोर्ट योग्य लेखा के मामले में इस तरह की कीमत पचास हजार यू एस डालर के समकक्ष राशि से अधिक है।

स्पष्टीकरण:- इस खंड के प्रयोजनों से, एकल प्रीमियम जीवन बीमा संविदा, जिसमें अभ्यर्पित (सरंडर) अथवा संविदा के समाप्त करने पर धन राशि की अदायगी की अनुज्ञा नहीं है, और जो संविदा के अंतर्गत अथवा इसके संबंध में धनराशि के उधार लेने की अनुमति नहीं देता, को नगद कीमत बीमा संविदा नहीं कहा जाएगा।

(छ) 'नकद मूल्य' से अभिप्रेत है उस-

(i) धनराशि से अधिक धनराशि, जिसकी संविदा के वापस करने अथवा समाप्त होने पर पॉलिसी धारक द्वारा प्राप्त करने की हकदारी है (जिसका निर्धारण, वापस करने के प्रभार अथवा पालिसी ऋण के संबंध में कटौती किए बिना किया जाता है), और

(ii) ऐसी धनराशि जिसे पॉलिसीधारक, संविदा के अन्तर्गत अथवा इसके संबंध में उधार ले सकता है,

किन्तु इसमें वह धनराशि शामिल नहीं है जो कि बीमा संविदा के अन्तर्गत निम्नलिखित के कारण देय है-

(अ) जीवन बीमा संविदा के अन्तर्गत बीमित व्यष्टिक की मृत्यु के कारण, जिसमें पहले से अदा किए गए प्रीमियम की वापिसी शामिल है, बशर्ते यह प्रतिदाय सीमित जोखिम प्रतिदाय हो; अथवा

(आ) वैयक्तिक चोट अथवा बीमारी फायदा अथवा अन्य फायदा जिसमें बीमित घटना के होने पर हुई आर्थिक हानि के लिए क्षति पूर्ति का उपगत हो; अथवा

(इ) बीमा संविदा के अन्तर्गत (जीवन बीमा संविदा अथवा वार्षिक वृत्ति संविदा के अलावा) संविदा के रद्द होने अथवा संविदा के समाप्त होने, संविदा की प्रभावकारी अवधि के दौरान जोखिम में कमी आने अथवा संविदा के प्रीमियम के संबंध में पोस्टिंग अथवा इसी प्रकार की चूक में सुधार करने से उत्पन्न होने के कारण, पूर्व में अदा किए गए प्रीमियम के प्रतिदाय के रूप में; अथवा

(ई) पॉलिसी धारक के लाभांश के रूप में (समायावधि समाप्त होने वाले लाभांश के अलावा), परंतु लाभांश, बीमा संविदा से संबंधित हो, जिसके अंतर्गत देय फायदा, उपखंड (ii) में वर्जित है; अथवा

(ड.) अग्रिम प्रीमियम अथवा बीमा संविदा के लिए जमा प्रीमियम की एक रिटर्न के रूप में, जिसके लिए प्रीमियम, वर्ष में कम से कम एक बार देय है, यदि अग्रिम प्रीमियम की धनराशि अथवा जमा किए गए प्रीमियम की धनराशि उस अगले वार्षिक प्रीमियम से अधिक नहीं है जो कि संविदा के अन्तर्गत देय होगी;

परन्तु कि उपखंड (अ) और उपखंड (ई) में अंर्तनिष्ट उपाबंध, यू एस रिपोर्ट योग्य लेखा के मामले में लागू नहीं होंगे।

(ज) ''अपवर्जित लेखे" से अभिप्रेत है:-

(i) सेवानिवृत्ति अथवा पेंशन खाता जो निम्नलिखित समाधान करके अपेक्षाएं पूरी करता हो, अर्थात:-

(अ) लेखा, वैयक्तिक सेवा निवृत्ति लेखे के रूप में विनियमन के अध्यधीन है अथवा सेवा निवृत्ति अथवा पेंशन लाभों (निशक्तता: अथवा मृत्यु प्रसुविधाओं सहित) के उपाबंध के लिए रजिस्ट्रीकृत अथवा विनियमित सेवा निवृत्ति अथवा पेंशन योजना का हिस्सा है;

(आ) लेखा को, कर का लाभ प्राप्त है, जिसमें लेखा में किया गया अंशदान जो कि अन्यथा कर के अध्यधीन होता है, इसकी, लेखा धारक की सकल कुल आय में कटौती की जाती है अथवा कम दर पर कर लगाया जाता है अथवा लेखे से विनिधान की गई आय पर कर को मुलतवी कर दिया जाता है अथवा कम दर पर कर लगाया जाता है;

(इ) लेखे के संबंध में आयकर प्राधिकारियों को सूचना भिजवाई जानी होती है;

(ई) प्रत्याहत (धन वापसी) की मंजूरी, सेवा निवृत्ति की विनिर्दिष्ट आयु, निशक्तता, अथवा मृत्यु की शर्त पर होती है अथवा इस प्रकार की घटनाओं से पूर्व ली गई धन वापसी पर जुर्माना लगता है; और

(ए) या वार्षिक अंशदान, पचास हजार यू.एस. डालर के समकक्ष रकम तक अथवा इससे कम राशि तक सीमित हो अथवा लेखा समुच्चयन और मुद्रा परिवर्तन के लिए नियम 114ज के उप नियम (7) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट नियमों को लागू करते हुए प्रत्येक मामले में किसी लेखे के संबंध में जीवन भर का अधिकतम अंशदान एक मिलियन यू.एस. डालर के समकक्ष धनराशि अथवा इसके कम हो।

स्पष्टीकरण : एक ऐसा वित्तीय खाता जो अन्यथा मद (ड़) की अपेक्षा पूरी करता है वह केवल इसलिए ऐसी अपेक्षाओं को समाधान करने में विफल नहीं होगा क्योंकि ऐसे वित्तीय खाते में मद (क) तथा (ख) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले एक अथवा अधिक वित्तीय खातों से अथवा खण्ड (झ) के किसी स्पष्टीकरण के खण्ड (ड़), (च) तथा (छ) की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक अथवा अधिक सेवा-निवृत्ति अथवा पेंशन निधि से आस्तियां तथा निधि स्थानांतरित हो कर आ सकती है।

(ii) एक खाता जो निम्न अपेक्षाओं को पूरा करता हो अर्थात :

(अ) ऐसा खाता जो सेवा-निवृत्ति अथवा लेखा-खाते के उद्देश्य को छोड़कर बचत-माध्यम के रूप में विनियमन के अधीन हों। (यू एस रिपोर्टेबल अकांउट को छोड़कर) जो सेवा-निवृत्ति के प्रयोजन को छोड़कर विनिधान माध्यम के रूप में विनियमन के अधीन हो; तथा स्थापित प्रतिभूति बाजार में नियमित रूप से व्यापार होता हो,

(आ) ऐसा खाता जिसे कर में छूट प्रदान की गई हो अन्यथा जहां खाते में आई राशि पर कर की राशि की कटौती की जानी हो अथवा उसे खातेधारी को पूर्ण आय से अलग रखा जाता है अथवा जो कम दर पर कर लगने के अधीन हो अथवा खाते से निवेश आय पर काराधन स्थगित अथवा कम दर पर कर लगाया जाता है;

(इ) प्रत्याहृत निवेश अथवा बचत खाते के प्रयोजन से संबंधित विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने की शर्त के अधीन होता है। (उदाहरण के लिए, शैक्षणिक अथवा चिकित्सीय फायदे) अथवा इन मानदंडों को पूरा करने से पहले प्रत्याहृत पर शास्ति लगाई जाती है; तथा

(ई) किसी खाते से वार्षिक अंशदान पचास हजार अमेरिकी डॉलर के समकक्ष हो अथवा उससे कम की राशि तक खाता औसत तथा मुद्रा विनिमय हेतु नियम 114 ज के उप नियम (7) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट नियम को लागू करते हुए सीमित किया गया हो।

स्पष्टीकरण : एक ऐसा वित्तीय खाता जो अन्यथा मद (ड़) की समाधान पूरी करता है वह केवल इसलिए ऐसी अपेक्षाओं को संतुष्ट करने में विफल नहीं होगा क्योंकि ऐसे वित्तीय खाते में मद (क) तथा (ख) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले एक अथवा अधिक वित्तीय खातों से अथवा इस नियम के खण्ड (1) के किसी स्पष्टीकरण खण्ड (ड़), (च) अथवा (छ) की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक अथवा अधिक सेवा-निवृत्ति अथवा पेंशन निधि से आस्तियां तथा निधि स्थानांतरित हो कर आ सकती है।

(iii) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) अधीन बनाई गई वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम के अंतर्गत स्थापित कोई खाता

(iv) कोई जीवन बीमा संविदा जिसकी व्याप्ति अवधि बीमाधारक व्यक्ति के नब्बे वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले समाप्त होती हो, बशर्ते इसमें निम्न अपेक्षाओं को पूरा करने की अपेक्षाएं होगी अर्थात:-

(अ) आवधिक प्रीमियम, जो समय गुजरने के साथ कम नहीं होता हो, और जो संविदा की अवधि के दौरान अथवा जब तक की बीमाधारक नब्बे वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी अल्प हो, वार्षिक रूप से देय हो;

(आ) ऐसी संविदा जिसका कोई संविदा मूल्य नहीं हो जिसे कोई व्यक्ति (प्रत्याहृत, ऋण अथवा अन्यथा के माध्यम से) संविदा समाप्त किए बिना ही समाप्त कर सकता हो;

(इ) ऐसी राशि (मृत्युपरांत प्राप्त फायदा को छोड़कर) जो मृत्यु, रूगणता तथा व्यय प्रभार की राशि को घटा कर, (चाहे वास्तव में लागू हो अथवा नहीं) उस अवधि अथवा संविदा की अवधि के लिए, संविदा हेतु देय औसत प्रीमियम से तथा संविदा समाप्त करने अथवा रद्द करने से पूर्व देय की राशि से अधिक नहीं हो ; और

(घ) संविदा, किसी अंतरिती द्वारा किसी मूल्य धरित नहीं की गई हो,

(v) ऐसा खाता जो केवल किसी रियासत का हो, यदि ऐसे खाते के दस्तावेजों के किसी दिवगंत व्यक्ति का वसीयतनामा अथवा मृत्यु प्रमाण-पत्र शामिल हो

(vi) ऐसा खाता जो निम्न के संबंद्ध में स्थापित किया गया हो :-

(क) किसी न्यायालय का आदेश अथवा निर्णय

(ख) कोई बिक्री-पत्र, विनिमय पत्र अथवा अचल अथवा व्यक्तिगत संपत्ति की पट्टा, परंतु ऐसा खाता निम्न शर्तों को पूरा करता हो; अर्थात :-

(क) ऐसा खाता जो पूरी तरह डाउन संदाय, ब्याना राशि द्वारा वित्त पोषित हो, खाते में जमा राशि लेन-देन से संबंधित सीधी बाध्यता को पूरा करने अथवा समान भुगतान हेतु उपयुक्त हो अथवा जो खाते में संपत्ति की बिक्री, विनिमय, पट्टे के संबंध में जमा राशि द्वारा वित्तीय आस्ति द्वारा वित्तपोषित हो ;

(ख) ऐसा खाता जो पूर्णत: क्रेता की बाध्यता को पूरा करने हेतु स्थापित किया गया हो ताकि वह संपत्ति का क्रय मूल्य, बिक्री करने वाले की किसी प्रासंगिक बाध्यता अथवा पट्टादाता अथवा पट्टाधारी को लीज के अतंर्गत की गई सहमति के अनुसार लीज संपत्ति की किसी क्षति हेतु भुगतान के मूल्य को चुका सके।

(ग) खाते की आस्तियां, जिसमें तत्संबंधी अर्जित आय शामिल है, को क्रेता, विक्रेता, पट्टाकर्ता या पट्टाधारी (ऐसे व्यक्तियों की बाध्यता को पूरा करने सहित) के हित के लिए भुगतान या अन्यथा संवितरित किया जाएगा, जब सम्पति को विक्रय विनिमय या अभ्यर्पित किया जाता है, या इसकी लोज समाप्त हो जाती है।

(घ) ऐसा खाता कोई मार्जिन अथवा किसी वित्तीय आस्ति की बिक्री अथवा विनिमय के संबंध में नहीं खोला गया हो; और

(ड.) ऐसा खाता उप-खंड (7) में उल्लिखित कोई निक्षेपी खाते से निर्दिष्ट नहीं हो,

(ग) किसी वित्तीय संस्थान की कोई ऐसी बाध्यता जो किसी पूर्ण स्वामिक स्थावर संपत्ति के लिए, लिए गए ऋण के भुगतान हेतु, एक आबंध हो ताकि भविष्य में उस पूर्ण स्वामिक स्थावर संपत्ति के कर तथा बीमा के भुगतान किया जा सके।

(घ) किसी वित्तीय संस्थान का एक आबंध जो भविष्य में कर के भुगतान को करने हेतु किया गया हो,

(vii) यू एस रिपोर्ट योग्य लेखा तथा निक्षेपी खाते को छोड़कर, किसी ऐसे खाते का मामला जो निम्न अपेक्षाओं को पूरा करता हो अर्थात:-

(क) ऐसा खाता जो केवल इसलिए हो कि ग्राहक क्रेडिट कार्ड से संबंधित अथवा अन्य संबंधी प्रसुविधाओं से संबंधित बकाया राशि से अधिक के भुगतान हेतु हो तथा ग्राहक को कोई तत्काल अतिरिक्त भुगतान राशि नहीं लौटाई जाती।

(ख) 31 दिसंबर, 2015 को अथवा उससे पहले की स्थिति से, वित्तीय संस्थान, किसी ग्राहक द्वारा पचास हजार यू एस डॉलर के बराबर की राशि से अधिक भुगतान को रोकने अथवा यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी ग्राहक द्वारा पचास हजार अमेरिकी डॉलर से अधिक के अतिरिक्त भुगतान को उस ग्राहक को साठ दिन के भीतर वापस किया जाए अपनी नीतियों तथा प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन करता है, इन दोनों ही मामलों में प्रत्येक में लेखा औसत तथा मुद्रा विनिमय हेतु नियम 114 ज के उप नियम (7) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट नियम लागू होंगे। इस उद्देश्यार्थ, ग्राहक द्वारा किया गया अतिरिक्त अधिक भुगतान विवादित सीमा तक ऋण की बकाया राशि से संदर्भित नहीं माना जाएगा किन्तु इसमें व्यवसायिक आय के परिणामस्वरूप ऋण बकाया राशि शामिल होगी।

(2) " वित्तीय आस्ति '' कोई प्रतिभूति शामिल है (उदाहरण के लिए किसी निगम में स्टाफ को कोई शेयर, भागीदारी अथवा किसी प्रतिभागिता अथवा न्यास में सार्वजनिक रूप से लाभकारी मालिकाना हित; नोट, बॉड, डिबेंचर अथवा अन्य ऋणग्रस्तता के साक्ष्य), प्रतिभागिता हित, वस्तु, स्वैप (उदाहरण के लिए ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप, बेसिस स्वैप, इन्ट्रस्ट रेट कैप, इन्ट्रेस्ट रेट फ्लोर, कमोडिटी स्वैप, इक्वटी स्वैप, इक्वटी इन्डेक्स स्वैप तथा इस प्रकार के समझौते) बीमा संविदा अथवा एन्विटी संविदा अथवा प्रतिभूति में अन्य हित (इसमें फ्यूचर अथवा फारवर्ड कान्ट्रेक्ट अथवा ऑपशन शामिल है) प्रतिभागिता इन्ट्रेस्ट, कमोडिटी, स्वैप, बीमा संविदा अथवा एन्विटी संविदा,

परंतु कि '' वित्तीय आस्ति '' में गैर-ऋणग्रस्तता ; किसी स्थावर संपत्ति में सीधा हित शामिल नहीं हो।

(3) " वित्तीय संस्थान " अभिप्रेत कोई अभिरक्षणीय संस्थान, कोई निक्षेप संस्थान, कोई निवेश संस्था अथवा कोई विनिर्दिष्ट बीमा कंपनी है।

स्पष्टीकरण :- इस खंड के प्रयोजनों के लिए :-

(क)''अथिरक्षोपाय संस्थान '' का कोई अभिप्रेज है किसी ऐसी संस्था से है जो अपनी व्यवसाय के एक सारभाग के रूप में किसी खातेधारी की वित्तीय आस्तियां धारित करती है तथा जहां ऐसी वित्तीय आस्तियां को धारित करने तथा संबंधी वित्तीय सेवाओं से उसे होने वाली आय निर्धारण वर्ष से पहले के पिछले तीन वित्तीय वर्षों अथवा उस अवधि जिसमें वह संस्था अस्तित्व में है, जो भी कम हो, कुल आय के बीस प्रतिशत के बराबर अथवा उससे अधिक हो।

(ख) ''निक्षेपगार संस्थान ''का अभिप्रेत है कोई ऐसा संस्थान जो बैंककारी अथवा इस प्रकार के कारोबार के साधारण कार्यकलाप में निक्षेप स्वीकार करता है।

(ग) ''विनिधान अस्तित्व'' का अभिप्रेत ऐसे अस्तित्व से है,-

(क) जो प्राथमिक रूप से किसी ग्राहक की ओर से कारबार की निम्न एक अथवा अधिक क्रियाकलापों में लिप्त है अर्थात:-

(i) धन बाजार लिखित में व्यवसाय (चैक, बिल, निक्षेप, उत्पन्न के प्रमाण-पत्र आदि) विदेशी मुद्रा विनिमय, विनिमय, ब्याज दर तथा अनुक्रमणिका लिखित अंतरणीय प्रतिभूतियां अथवा कमोडिटी भावी व्यापार; अथवा

(ii) व्यैक्तिक तथा सामूहिक पोर्टफोलियो, प्रबंधन ; या

(iii) अन्य व्यक्ति की और से धन या व्यस्थापक वित्तीय आस्तियां या, अन्यथा निवेश, प्रशासन; या

(ख) सकल आय जो कि प्राथमिक रूप से निवेश, पुन: निवेश, या वित्तीय परिआस्ती में व्यापार के लिए है, यदि अस्तित्व का प्रबंधन अन्य अस्तित्व द्वारा किया जाता है जो कि निक्षेपागार (डिपोजिटरी) संस्थान, एक संरक्षक संस्थान एक निर्धारित बीमा या इस खंड के उपखंड में वर्णित एक निवेशक अस्तित्व है।

स्पष्टीकरण 1- एक अस्तित्व को प्राथमिक रूप से इस खंड के उपखंड (क) में वर्णित एक या एक से अधिक व्यापारिक व्यय करने वाली संस्था को अस्तित्व माना जाता है या जिस अस्तित्व की सकल आय उपखंड (ख) के उद्देश्य के लिए वित्तीय आस्ति में व्यापार या निवेश, पुन: निवेश के लिए आरोपणीय है, यदि अस्तित्व की सकल आय जो कि संगत क्रियाकलापों के लिए है जिस वर्ष में 31 मार्च को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि, अथवा उस वर्ष की अवधि जिसमें कि ऐसा अस्तित्व अस्तित्व में रहता है, के दौरान कि सकल आय के बराबर है अथवा उसके पचास प्रतिशत से अधिक है।

स्पष्टीकरण 2- '' निवेशक अस्तित्व'' में एक सक्रिय गैर-वित्तीय अस्तित्व सम्मिलित नहीं हे क्योंकि इस नियम के खंड (6) के स्पष्टीकरण के खंड (क) के उपखंड (iv), (v), (vi) या (vii) के मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

(घ) ''विनिर्दिष्ट बीमा कंपनी का अभिप्रेत ऐसा अस्तित्व है जो कि बीमा कंपनी (या किसी बीमा कंपनी को धारण कंपनी है) है जो जारी करती है, या एक वार्षिक संविदा या एक नकद मान बीमा संविदा के संबंध में अदायगी के लिए बाध्य है।

(4) '' गैर सहभागी वित्तीय संस्थान '' विदेशी वित्तीय संस्थान अभिप्रेत है जो कि भारत गणराज्य की सरकार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुए समझौते के अनुच्छेद 1 के खंड (द) में परिभाषित है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका (एतश्मिन पश्चात् जिसे एफ ए टी सी ए करार के रूप में परिभाषित किया गया है) के विदेशी खाता अनुपालन अधिनियम को लागू करने तथा अंतर्राष्ट्रीय कर अनुपालन में सुधार के लिए किया गया है, किंतु इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं;-

(क) एक भारतीय विदेशी संस्थान: या

(ख) अन्य क्षेत्राधिकार, जो कि ऐसा क्षेत्राधिकार हो, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुए ऐसे करार के कारण है जिससे कि विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम/एतश्मिन पश्चात् जिसे अन्य सहभागी क्षेत्राधिकार के रूप में संदर्भित किया गया है) को क्रियान्वयन किया जा सकता है।

ऐसे वित्तीय संस्थानों से भी जिनको करार के अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ ख या संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य भागीदारों के बीच हुए करार के तत्संबंधी उपबंधों के अनुसार गैर-भागीदार वित्तीय संस्थान माना जाता है।

(5) '' गैर-रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान'' का अभिप्रेत कोई भी वित्तीय संस्थान अभिप्रेत है जो-

(क) एक सरकारी संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या केंद्रीय बैंक के अतिरिक्त एक भुगतान के संबंध में जो कि एक निक्षेप संस्थान; अभिरक्षणीय संस्थान या बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित एक वाणिज्यिक वित्तीय प्रशासकीय निधियां या प्रबंध निवेश के उद्देश्य से ग्राहक की और से व्यापार का संचालन कर धारित करती है।

(ख) एक संधि अर्हक सेवा निवृत्ति निधि फंड एक व्यापक भागीदारी सेवानिवृत्त निधि एक संकुचित भागीदारी सेवानिवृत्ति निधि या एक पब्लिक संस्थान की पेंशन निधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या केंद्रीय बैंक;

(ग) सशस्त्र बलों की गैर-सरकारी निधि, एक कर्मचारी राज्य बीमा निधि, उपदान निधि या भविष्य निधि;

(घ) ऐसा अस्तित्व जो कि एक मात्र भारतीय संस्थान है क्योंकि एक निवेश संस्थान है परंतु अस्तित्व में एक साम्य निवेश का प्रत्येक प्रत्यक्ष धारक, खंड (क) से (ग) में निर्दिष्ट वित्तीय संस्थान है तथा इस प्रकार के ऋण ब्याज का प्रत्येक धारक या तो डिपोजिटरी संस्थान (इस प्रकार के लिए बनाए गण्ऋण के संबंध में) है या उपवाक्य (क) से (ग) में संबोधित वित्तीय संस्थान है;

(ङ) एक अर्हक ऋण कार्ड जारीकर्त्ता;

(च) भारत में स्थापित एक अस्तित्व अस्तित्व जो कि एक मात्र वित्तीय संस्थान है क्योंकि यह-

(i) विनिधान की सलाह प्रस्तुत करता है, की और से निष्पादित करता है, या

(ii) के लिए पोर्टफोलियो का प्रबंध करता है, की ओर से कार्य करता है।

(iii) ग्राहक की ओर से, निवेश, प्रबंधन या प्रशासनिक निधि या एक गैर-सहभागी वित्तीय संस्थान से ग्राहक के नाम में जमा प्रतिभूतियों का संचालन करता है ;

(छ) एक छूट वाला सामूहिक निवेश वाहन;

(ज) प्रवृत्त तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन स्थापित न्यास, उस सीमा तक कि न्यास का न्यासी एक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान है तथा न्यास के सभी रिपोर्ट वाले लेखों के संबंध में नियम 114(छ) के अधीन रिपोर्ट की जाने वाली सभी सूचनाओं की रिपोर्ट करता है;

(झ) स्थानीय मुवक्कल आधार वाला वित्तीय संस्थान;

(ञ) एक स्थानीय बैंक;

(ट) केवल कम मान वाले लेखा का एक वित्तीय संस्थान;

(ठ) किसी रिपोर्ट वाले लेखों के मामले में प्रायोजित निवेश अस्तित्व तथा नियोजित विदेशी निगम;

(ड) यू एस किसी रिपोर्ट वाले लेख के संबंध में प्रायोजित ध्यान से रखा गया निवेश वाहन

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रोजन के लिए-

(क) सरकारी अस्तित्व का अभिप्रेत देश या राज्यक्षेत्र की सरकार, के प्राधिकार की कोई राजनीतिक उपभाग (जिसमें राज्य, प्रांत, काऊंटी या नगरपालिका शामिल हैं।) या पूर्णत: स्वामी अभिकरण या प्राधिकार की नियंत्रित अस्तित्व या पूववर्ती के एक या उससे अधिक/प्रत्येक एक सरकारी अस्तित्व तथा इस प्रकार के राजनीतिक उपवर्गों, नियंत्रित निकायों, अभिन्न भागों और ऐसे देश या क्षेत्राधिकार के राजनीतिक उपवर्गों को सम्मिलित करती है।

स्पष्टीकरण :- खंड (क) के प्रयोजन के लिए

(i) देश या राज्य क्षेत्र के "अभिन्न भाग " का अभिप्रेत कोई व्यक्ति, संगठन, प्राधिकारी ब्यूरो, निधि, सहायकता, या अन्य अस्तित्व तथापि जो कि क्षेत्राधिकार की एक प्रशासकीय प्राधिकार का निर्माण करते हैं तथा प्रशासकीय प्राधिकार के निवल आयोजन को उसके अपने खाते में या प्राधिकार के अन्य खाते, किसी प्राइवेट व्यक्ति के लाभ के लिए अभ्यस्त किए बिना जमा किया जाना चाहिए:

परंतु कि एक अभिन्न भाग किसी व्यस्टिक के जो कि सम्प्रभु अधिकारी या प्राइवेट या व्यक्तिक क्षमता में कार्य करता है, को सम्मिलित नहीं करता है;

यदि आय से निजी व्यक्तियों को उस समय लाभ नहीं होता है यदि ऐसे व्यक्ति सरकारी कार्यक्रम के वांछित लाभभोगी होते हैं और ऐसे कार्यक्रम या क्रियाकलाप सभी के कल्याण के लिए जनसामान्य के लिए किए जाते हैं अथवा सरकारी विभाग के प्रशासन से संबंधित होते हैं;

परंतु ऐसी आय को निजी व्यक्तियों के लाभ के लिए तब माना जाएगा। जब यह किसी सरकारी अस्तित्व द्वारा किए जाने वाले वाणिज्यिक कार्य जैसे कि वाणिज्यिक बैंकिंग कार्य जो कि निजी व्यकृतियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, से अर्जित की गई हो।

(ii) एक नियंत्रित अस्तित्व का अभिप्रेत है एक ऐसे अस्तित्व से है जो कि प्राधिकरण के रूप में, या अन्यथा एक अलग न्यायायिक अस्तित्व का निर्माण करता है; एक अलग अस्तित्व से है;

परंतु;

(क) अस्तित्व पूर्ण रूप से स्वामित्व वाला है और उसका नियंत्रण प्रत्यक्ष या एक या अधिक नियंत्रित निकायों के माध्यम से एक या अधिक सरकारी निकायों द्वारा किया जाता है।

(ख) अस्तित्व के निवल अर्जन को उसके अपने खाते में या एक या अधिक सरकारी निकायों में किसी प्राइवेट व्यक्ति के फायदा के लिए इसके किसी भाग को अभ्यस्त किए बिना, इसकी आय को उपगत किया जाता है; और

(ग) विघटन पर एक या अधिक सरकारी निकायों में अस्तित्व की परिसम्पत्ति निहित है;

इस प्रकार की आय से निजी व्यक्तियों को उस समय लाभ नहीं होता है यदि ऐसे व्यक्ति सरकारी कार्यक्रम के वांछित लाभभोगी होते हैं और ऐसे कार्यक्रम या क्रियाकलाप सभी के कल्याण के लिए जनसामान्य के लिए किए जाते हैं अथवा सरकारी विभाग के प्रशासन से संबंधित होते हैं;

परंतु यह और भी कि ऐसी आय को प्राइवेट व्यक्तियों के फायदा के लिए तब माना जाएगा। यदि यह किसी सरकारी अस्तित्व द्वारा किए जाने वाले वाणिज्यिक कार्य जैसे कि वाणिज्यिक बैंककारी कार्य जो कि प्राइवेट व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, से अर्जित की गई हो।

(ख) '' अंतर्राष्ट्रीय संगठन'' से अभिप्रेत ऐसे किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से या उसके पूर्णत: स्वामित्व में आने वाली किसी अभिकरण या साधन, जिसमें अंर्तसरकारी संगठन से है जो कि (क) मुख्य रूप से सरकारों को मिलाकर बना हो; (ख) जिसका कि भारत के साथ अनुपातिक समान करार या मुख्यालय का प्रभाव हो तथा (ग) जिसकी आय प्राइवेट व्यक्तियों के फायदे के लिए न मानी जाती हो।

(ग) '' केंद्रीय बैंक '' ऐसे बैंक से अभिप्रेत है जो कि विधि या सरकारी अनुमोदन से एक प्रधान प्राधिकारी हो और सरकार के अतिरिक्त भी इसका क्षेत्राधिकार हो तथा जो मुद्रा के संचरण के लिए विलेख जारी करता हो जो कि सरकारी क्षेत्राधिकार से अलग होता है चाहे यह पूर्णत: या अंशत: किसी के क्षेत्राधिकार में आता हो या नहीं।

(घ) ''संधि अर्हक सेवा निवृत्ति निधि'' से अभिप्राय, भारत में स्थापित निधि से है। परंतु इसे भारत और भारत के बाहर किसी देश की सरकार के बीच होने वाले करार से फायदा पाने का हक हो या इसका भारत के बाहर विशेष क्षेत्र हो जिससे कि ऐसे देश में या भारत के बाहर के भूक्षेत्र में संसाधनों से आय अर्जित करती हो जैसे कि भारत का कोई नागरिक अर्जित करता है। अथवा इसे फायदा प्राप्त करने का हक हो जैसे कि इसने स्वयं अर्जित किया है, जो कि लाभ संबंधी किन्हीं अपेक्षाओं का अनुपालन करता है और जिसको मुख्य रूप से पेंशन देने या सेवा निवृत्ति लाभ देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा हो।

(ड़) '' विस्तृत भागीदारी सेवानिवृत्ति निधि'' से अभिप्राय ऐसी निधि से है जो कि ऐसे फायदाधारियों को उनके द्वारा की गई सेवा के प्रतिफल में सेवानिवृत्ति, निशक्तता, या स्वास्थ्य फायदा या इनमें से सामूहिक रूप से लाभ देने के लिए स्थापित किया गया हो जो कि सेवा देने वाले एक या एक से अधिक नियोक्ता के वर्तमान या पूर्व कर्मचारी (या व्यक्ति जो कि ऐसे कर्मचारी द्वारा नामोनिर्दिष्ट किए गए हो, को) हैं, बशर्ते कि

(i) इस कोष में ऐसा कोई अकेला फायदाप्रद नहीं होगा जिसका कि कोष में पांच प्रतिशत से अधिक का अधिकार होगा।

(ii) निधि सरकारी विनियम के अधीन होगी और आयकर प्राधिकारियों को सूचना दी जाती रहेगी; और

(iii) निम्न में से कम से कम एक समाधान अपेक्षाओं को पूरा करना होगा:-

(क) सेवा निवृत्ति को निवेश आय पर कर से छूट होगी या ऐसी आय पर कर को स्थगित किया जा सकता है या इसकी दर को कम किया जा सकता है;

(ख) इस निधि को अपने कुल अंशदान का कम से कम पचास प्रतिशत हिस्सा प्रायोजक नियोक्ता से प्राप्त होता है [खंड (छ) से खंड(घ) में व्याख्या की गई अन्य योजनाओं की आस्तियों के अंतरण अथवा खंड (ज) के उपखंड (झ) में स्पष्टीकरण किए गए सेवानिवृत्ति और पेंशन लेखों से भिन्न]

(ग) निधियों से वितरण अथवा धन वापसी की अनुमति, सेवानिवृत्ति, निशक्तता अथवा मृत्यु से संबंधित विनिर्दिष्ट घटना के होने पर दी जाएगी [खंड (छ) से खंड (ड़) में निर्दिष्ट की गई अन्य सेवानिवृत्ति निधियों के रोल ओवर वितरण अथवा खंड (झ) के स्पष्टीकरण के खंड (ज) के उपखंड (झ) में व्याख्या किए गए सेवानिवृत्ति और पेंशन लेखों के अलावा] अथवा शास्तियां, ऐसी विनिर्दिष्ट घटनाओं से पूर्व किए गए वितरण और धन वापसी पर लागू होती है;

(घ) अथवा लेखा समेकन और मुद्रा परिवर्तन के संबंध में नियम 114 ज के उपनियम (6) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट नियमों को लागू करते हुए, निधि में कर्मचारियों के अंशदान की (अनुज्ञेय मेक-अप अंशदान के अलावा), कर्मचारी की अर्जित आय के संदर्भ में सीमा रखी गई है अथवा यह प्रतिवर्ष पचास हजार यू एस डालर के बराबर राशि से अधिक नहीं होगा।

(च) अल्प प्रतिभागिता सेवानिवृत्ति निधि से अभिप्राय ऐसी निधि से है जो ऐसे फायदा-ग्राहियों को सेवानिवृत्ति, निशक्तता अथवा मृत्यु–प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए गठित की गई है जो कि दी गई सेवाओं के प्रतिफल के लिए एक अथवा अधिक नियोक्ताओं के मौजूदा अथवा पूर्व कर्मचारी है अथवा ऐसे कर्मचारियों द्वारा पद नामित व्यक्ति है; परंतु :-

(i) यह निधि पचास प्रतिभागियों की राशि से कम है।

(ii) यह निधि ऐसे एक अथवा अधिक नियोक्ताओं द्वारा प्रायोजित है जो कि निवेश संस्थाएं अथवा अक्रिय गैर वित्तीय संस्थाएं नहीं हैं।

(iii) निधि (खंड (झ) के स्पष्टीकरण के खंड (ञ) के उप-खंड (झ) में स्पष्टीकरण किए अनुसार सेवानिवृत्ति और पेंशन लेखों की परिसम्पत्ति के अंतरण से भिन्न) के संबंध में कर्मचारी और नियोक्ता को अंशदान की कर्मचारी की क्रमश: अर्जित आय और प्रतिकर के संदर्भ में सीमा रखी गई है।

(iv) सहभागी जो उस भारत के निवासी पात्र नहीं हैं, वे निधि की परिसंपत्तियों के बीस प्रतिशत से अधिक के हकदार नहीं हैं; और

(v) वह निधि सरकारी विनियम के अधीन है और आयकर प्राधिकारियों को सूचना प्रतिवेदन प्रदान करती है।

(छ) ''सरकारी अस्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय संगठन अथवा केन्द्रीय बैंक की पेंशन निधि'' से अभिप्रेत है किसी सरकारी सत्ता, अंतर्राष्ट्रीय संगठन अथवा केन्द्रीय बैंक द्वारा फायदाग्राहियों अथवा भागीदारों, जो वर्तमान अथवा भूतपूर्व कर्मचारी (अथवा ऐसे कर्मचारियों द्वारा नामित व्यक्ति) हैं, अथवा जो वर्तमान अथवा भूतपूर्व कर्मचारी नहीं हैं, को सेवानिवृत्ति, नि:शक्ताओं, अथवा संबंधी लाभ उपलब्ध करवाने के लिए स्थापित निधि, यदि ऐसे लाभार्थियों अथवा भागीदारों को उपलब्ध करवाए गए लाभ सरकारी सत्ता, अंतर्राष्ट्रीय संगठन अथवा केन्द्रीय बैंक के लिए व्यैक्तिक सेवाएं प्रदान किए जाने के बदले में हैं;

(ज) "सशस्त्र बलों की गैर-पब्लिक निधि" से अभिप्रेत से है भारत संघ की सशस्त्र सेना द्वारा सशस्त्र सेना के कार्यरत तथा भूतपूर्व सदस्यों तथा जिनकी आय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-10 के अंतर्गत कर मुक्त हैं, के कल्याण के लिए सैन्य दल संबंधी निधि अथवा गैर सरकारी निधि के रूप में भारत में स्थापित निधि है जो आयकर अधिनियम की धारा 10 के उपखंड (23कक) के अधीन छूट है;

(झ) "कर्मचारी राज्य बीमा निधि का अभिप्रेत है" कम आय वाले कारखाना श्रमिकों के चिकित्सा संबंधी व्यय के उपबंध हेतु 1948 (1948 का 34) के कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर्मचारियों की राज्य बीमा निधि के तौर पर भारत में स्थापित निधि;

(ञ) "उपदान निधि" से अभिप्रेत है उपदान भुगदान अधिनियम 1972 (1972 का 39) में विनिर्दिष्ट भारतीय नियोक्ता के कुछ विशेष प्रकार के कर्मचारियों को उपदान के भुगतान संबंधी प्रावधान हेतु उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत स्थापित कोई निधि;

(ट) "भविष्य निधि" का अभिप्रेत है प्रतिपादित सेवाओं के लिए भारतीय नियोक्ताओं के कार्यरत तथा भूतपूर्व कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति फायदा के उपबंध हेतु संदाय उपदान अधिनियम, 1925 (1925 का 19) के भविष्य निधि अधिनियम अथवा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के अंतर्गत स्थापित निधि,

परंतु वह निधि:

(i) निधि आस्तियों के पांच प्रतिशत से अधिक का अधिकार पास नहीं हो;

(ii) सरकारी विनियम के अधीन है और अपने फायदाग्राहियों के बारे में वार्षिक सूचना प्रतिवेदन संगत कर प्राधिकारियों को प्रदान करें;

(iii) भविष्य निधि के रूप में प्रस्थिति के कारण निवेश आय पर कर से सामान्यतया छूट प्राप्त है; और

(iv) कर्मचारियों द्वारा निधियों में अंशदान (अनुमति प्राप्त मेकअप अंशदानों के अलावा) कर्मचारी की सृजित आय के संदर्भ द्वारा परिसीमित है या खाता समुच्चय और मुद्रा अंतरण के लिए नियम 114ज के उपनियम (7) के खंड (ग) में वर्णित प्रक्रियाओं को लागू करते हुए पचास हजार अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं हो सकती।

(ठ) "अर्हता प्राप्त क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता" का अभिप्रेत है निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करने वाला कोई वित्तीय संस्था, अर्थात:-

(i) वित्तीय संस्था है क्योंकि यह क्रेडिट कार्डों का जारीकर्ता है व केवल तभी जमा स्वीकार करता है जब कोई ग्राहक कार्ड के संबंध में देय शेष से अधिक भुगतान करता है और अधिक भुगतान को तत्काल ग्राहक को वापस नहीं किया जाता; और

(ii) 01 जुलाई, 2014 को अथवा इससे पूर्व से आरंभ, वित्तीय संस्था या तो किसी ग्राहक को पचास हजार अमरीकी डॉलर के समान राशि से अधिक ज्यादा भुगतान करने से रोकने के लिए अथवा यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी ग्राहक को पचास हजार अमरीकी डॉलर के समान राशि से अधिक भुगतान रिफण्ड साठ दिनों के भीतर

किए जाएं, प्रत्येक मामले में खाता समूहन एवं मुद्रा अंतरण के लिए नियम 114ज के उप-नियम (7) के खंड (ग) में निर्दिष्ट नियमों को लागू करते हुए, नीतियां एवं पद्धतियां कार्यान्वित करता है।

स्पष्टीकरण - इस उपखंड के प्रयोजन के लिए, किसी ग्राहक का अतिभुगतान विवादित प्रभारों की सीमा तक क्रेडिट शेषों का संदर्भ नहीं है लेकिन उसमें पण्य रिटर्न के परिणामस्वरूप क्रेडिट शेष शामिल होते हैं।

(ड) "छूट प्राप्त सामूहिक निवेश वाहन" वह अभिप्रेत है जो उस निवेशी असितत्व से है जिसका सामूहिक निवेश वाहन के तौर पर नियमन किया जाता है, बशर्ते सामूहिक निवेश वाहन में सभी ब्याज (i) खंड (vi) के उप-खंड (क) से (ग) तक में संदर्भित और, (ii) कोई गैर-भागीदार वित्तीय संस्था के अलावा व्यक्तियों के द्वारा अथवा व्यक्तियों के माध्यम से धारित हों; और।

स्पष्टीकरण :- कोई भी निवेशी असितत्व जिसका सामूहिक निवेश वाहन के तौर पर नियमन किया जाता है, वह इस खंड के तहत छूट प्राप्त सामूहिक निवेश वाहन के रूप में अर्हता पाने में सिर्फ इसलिए असफल नहीं रहता क्योंकि वाहक के रूप में कागजी शेयर जारी किए हैं,

बशर्ते

(i) सामूहिक निवेश वाहन ने 31 दिसंबर, 2012 के बाद वाहक के रूप में कोई कागजी शेयर जारी नहीं किए हैं, और जारी नहीं कर रहा है;

(ii) सामूहिक निवेश वाहन ऐसे सभी शेयरों को अभ्यर्पण पर हटा देता है; तथा

(iii) सामूहिक निवेश वाहन नियम 114ज में निर्धारित समुचित उद्यम प्रक्रियाओं को अपनाता है तथा जब ऐसे शेयर शोधन हेतु अथवा अन्य भुगतान के लिए पेश किए जाते हैं तो ऐसे किन्हीं शेयरों के संबंध में सूचित की जाने वाली जानकारी की सूचना देता है;

(iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे शेयर शीघ्रातिशीघ्र मुक्त हों या गतिहीन हों, एवं किसी भी स्थिति में 01 जनवरी, 2017 से पूर्व, सामूहिक निवेश वाहन के पास नीतियां एवं पद्धतियां उपलब्ध हों।

(ढ) "स्थानीय मुअक्कल आधार के साथ वित्तीय संस्था" से अभिप्रेत है निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करने वाला कोई वित्तीय संस्था है, अर्थात:-

(i) जिसे अनुज्ञप्ति दे दिया गया है तथा तत्समय प्रवृत्त के अनुसार वित्तीय संस्था के रूप में इसका नियमन किया जाता है।

(ii) वित्तीय संस्था के पास भारत के बाहर कारोबार का कोई नियत स्थान नहीं होता।

स्पष्टीकरण - इस उपखंड के प्रयोजन के, कारोबार के नियत स्थान में वह स्थान शामिल नहीं है जोकि जनता को विज्ञापित नहीं है और जिससे वित्तीय संस्था मात्र प्रशासनिक सहायता कार्य ही निष्पादित करती है; और

(iii) वित्तीय संस्था भारत के बाहर ग्राहकों या खाता धारकों से अनुरोध नहीं करता।

स्पष्टीकरण - इस उपखंड के प्रयोजन के लिए, किसी वित्तीय संस्था को इस उद्देश्य के लिए भारत के बाहर केवल इस आधार पर ग्राहकों या खाता धारकों से निवेदित करना नहीं माना जाएगा क्योंकि वित्तीय संस्था (क) वेबसाइट प्रचालित करती है,

बशर्ते वेबसाइट विशिष्ट रूप से यह इंगित नहीं करती कि वित्तीय संस्था अनिवासियों को वित्तीय खाते या सेवाएं मुहैया कराती हैं और इसके अन्यथा ग्राहकों या खाता धारकों को लक्षित या उनसे याचना नहीं करता जो कर के प्रयोजनों से भारत को छोड़कर अन्य देश तथा क्षेत्र के निवासी हैं, या (ख) प्रिंट मीडिया या रेडियों या टेलीविजन स्टेशन में विज्ञापित करना जिसे मुख्यत: भारत के भीतर संवितरित या प्रसारित किया जाता है लेकिन संयोग से अन्य देशों में भी संवितरित या प्रसारित किया जाता है, बशर्ते विज्ञापन में विशिष्ट रूप से यह इंगित नहीं हो कि वित्तीय संस्था अनिवासियों को वित्तीय खाते या सेवाएं मुहैया कराता है और अन्यथा ग्राहकों या

खाता धारकों को लक्षित या उनसे याचना नहीं करता जो कर के प्रयोजनों से भारत को छोड़कर अन्य देश तथा क्षेत्र के निवासी हैं; और

(iv) वित्तीय संस्था को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के तहत निवासियों द्वारा धारित वित्तीय खातों के संबंध में या तो सूचना की रिपोर्टिंग या कर की रोक के प्रयोजनार्थ या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के तहत यथोचित परिश्रम आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयोजनार्थ निवासी धाता धारकों की पहचान करने की समाधान है;

(v) भारत के निवासियों (निवासी जोकि सत्ताएं हैं, सहित) द्वारा वित्तीय संस्था द्वारा अनुरक्षित मूल्य द्वारा वित्तीय खातों का कम से कम अट्ठानवे प्रतिशत धारित किया गया है;

(vi) वित्तीय संस्था को किसी गैर-सहभागी वित्तीय संस्था को कोई वित्तीय खाता उपलब्ध कराने से रोकने और वित्तीय संस्था किसी प्रतिवेद्य व्यक्ति जो भारत का निवासी नहीं है (किसी अनिवासी सहित जो उस समय भारत का निवासी था जब वित्तीय खाता खोला गया किन्तु बाद में भारत का निवासी नहीं रहता है) या नियंत्रण व्यक्तियों के साथ कोई निष्क्रिय गैर-वित्तीय संस्था जो प्रतिवेद्य व्यक्ति हैं, के लिए कोई वित्तीय खाता खोलता है या अनुरक्षित करता है अथवा नहीं, इसकी निगरानी करने के लिए 30 जून 2014 को या उससे पहले, वित्तीय संस्था की नीतियां और प्रक्रियाएं नियम 114झ में निर्धारित उन नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुरूप हैं;

(vii) इस तरह की नीतियों और प्रक्रियाओं में स्पष्ट रूप से उपबंध है कि यदि किसी प्रतिवेद्य व्यष्टिक जो भारत का निवासी नहीं है या नियंत्रण व्यक्तियों के साथ कोई निष्क्रिय गैर-वित्तीय संस्था जो प्रतिवेद्य व्यक्ति हैं जो भारत के निवासी नहीं हैं, द्वारा धारित किसी वित्तीय खाते की पहचान की जाती है तो वित्तीय संस्था इस प्रकार के वित्तीय खाते की सूचना देगा जैसा कि अपेक्षित होगा यदि वित्तीय संस्था एक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था थे या इस प्रकार के वित्तीय खाते को बंद करेगा;

(viii) किसी व्यक्ति जो भारत का निवासी नहीं है या किसी संस्था द्वारा धारित किसी पूर्व-मौजूद खाते के संबंध में वित्तीय संस्था किसी गैर-सहभागी वित्तीय संस्था द्वारा धारित किसी प्रतिवेद्य खाते या वित्तीय खाते की पहचान के लिए नियम 114झ में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उन पूर्व-मौजूद खातों की समीक्षा करेगा, और इस प्रकार के वित्तीय खाते की सूचना देगा जैसा कि अपेक्षित होगा यदि वित्तीय संस्था एक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था थे या इस प्रकार के वित्तीय खाते को बंद करेगा;

(ix) वित्तीय संस्था की प्रत्येक सम्बद्ध असितत्व जोकि वित्तीय संस्था है, को सम्बद्ध सत्ता जोकि इस *स्पष्टीकरण* के खंड (घ) से (छ) में संदर्भित सेवानिवृत्ति निधि है, के अपवाद के साथ भारत में निगमित या संगठित की जानी चाहिए, इस पैरा क में वर्णित अपेक्षाओं को पूरा करती हैं

(x) वित्तीय संस्था की ऐसी नीतियां और पद्धतियां नहीं होनी चाहिए जो व्यक्तियों जोकि निर्दिष्ट यू.एस. व्यष्टिक और भारत के निवासी हैं, के लिए वित्तीय खातों को खोलने या रखरखाव करने के विरूद्ध पक्षपात करती हों।

(ण) "स्थानीय बैंक" से अभिप्रेत है निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करने वाला कोई वित्तीय संस्था, अर्थात:-

(i) वित्तीय संस्था (अनुज्ञप्त और उस समय प्रचलित विधियों के तहत विनियमित है) बैंक या क्रेडिट यूनियन या सदृश सहकारी क्रेडिट संगठन जोकि लाभ के बिना प्रचालित होती है, के रूप में मात्र प्रचालित है; और

(ii) वित्तीय संस्था कारोबार में मुख्यत: बैंक के संबंध में जमाओं प्राप्ति और ऋणों को करने क्रेडिट यूनियन या सदृश सहकारी क्रेडिट संगठन सदस्यों के संबंध में, असम्बद्ध खुदरा ग्राहक समाविष्ट हैं, परंतुसी सदस्य के पास ऐसी क्रेडिट यूनियन या सहकारी क्रेडिट संगठन में पांच प्रतिशत से अधिक कोई हित नहीं हो;

(iii) वित्तीय संस्था इस खंड (ढ) के उपखंड (ii) और (iii) में वर्णित समाधान को पूरा करती है, बशर्ते इस खंड (ढ) के उपखंड (iii) में में निर्दिष्ट वेबसाइट संबंधी परिसीमाओं के अतिरिक्त, वेबसाइट की किसी वित्तीय खाते को खोलने की अनुमति नहीं देती;

(iv) वित्तीय संस्था के पास इसके तुलन पत्र में परिसम्पत्तियां एक सौ पिचहत्तर मिलयन अमरीकी डालर की समतुल्य राशि से अधिक नहीं है, और वित्तीय संस्था और किसी संबंधित संस्था दोनों को मिलाकर उनके पास उनके

समेकित या संयुक्त तुलन पत्र में कलु आस्तियां पांच सौ मिलयन अमरीकी डालर की समतुल्य राशि से अधिक नहीं है; और

(v) किसी सम्बद्ध सत्ता को भारत में निगमित या संगठित किया जाना चाहिए और ऐसी कोई संबद्ध सत्ता जोकि वित्तीय संस्था है, किसी सम्बद्ध सत्ता के अपवाद के साथ जोकि खंड (घ) से (छ) में निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति निधि है या इस धारा के खंड (प) में निर्दिष्ट सिर्फ न्यून-मूल्य खातों का वित्तीय संस्था है, को इस खंड में वर्णित अपेक्षाओं का समाधान को पूरा करना चाहिए:

स्पष्टीकरण.- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21) के अधीन गठित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम या बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत गठित शहरी सहकारी बैंक, संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत गठित राज्य सहकारी बैंक या जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के तहत लाइसेंस प्राप्त और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के रूप में विनियमित और रजिस्ट्रीकृत स्थानीय क्षेत्र बैंक, जो उप खंड (iv) के अंतर्गत अपेक्षा को पूरा करता है, को इस खंड के प्रयोजनार्थ स्थानीय बैंक के रूप में माना जाएगा।

(त) "निम्न-मूल्य खातों के वित्तीय संस्था" से अभिप्रेत है निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करने वाला कोई वित्तीय संस्था है, अर्थात:-

(i) वित्तीय संस्था कोई निवेश असित्व नहीं है;

(ii) वित्तीय संस्था द्वारा अनुरक्षित वित्तीय खाता या किसी सम्बद्ध सत्ता का खाता समूहन और करेंसी अन्तरण के लिए प्रक्रिया 114ज के उपनियम (7) के खंड (ग) में वर्णित नियमों को लागू करते हुए पचास हजार अमेरिकी डॉलर के अधिक में शेष या मूल्य है;

(iii) वित्तीय संस्था का तुलन पत्र पर परिसम्पत्तियों में पचास मिलयन अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं हो, और वित्तीय संस्था के साथ संबद्ध सत्ताओं का उनके समेकित या संयुक्त तुलन-पत्रों पर कुल अस्तियों में पचास मिलयन अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं हो।

(थ) "प्रायोजित निवेश सत्ता और नियंत्रित विदेशी निगम" से अभिप्रेत है निम्नलिखित उपखंड में वर्णित कोई वित्तीय संस्था, अर्थात:-

(i) वित्तीय संस्था एक प्रायोजित निवेश असित्व है यदि

(क) यह भारत में स्थापित कोई निवेश असित्व है जो अर्हता-प्राप्त मध्यस्थ नहीं है (जो एक मध्यस्थ होने के नाते एक संयुक्त राज्य अमेरिका के रोकने के समझौते का पक्षकार है), जो विदेशी साझेदारी रोकता हो या विदेशी न्यास को रोकता है; और

(ख) सत्ता ने वित्तीय संस्था के लिए प्रायोजित सत्ता के रूप में कार्य करने के लिए वित्तीय संस्था के साथ सहमति दी है।

(ii) वित्तीय संस्था कोई प्रायोजित नियंत्रित विदेशी निगम है; यदि

(क) जो उस समय भारत के तत्समय प्रवृत्त किसी विधि तहत नियंत्रित विदेशी निगम है जोकि अर्हता-प्राप्त मध्यस्थ नहीं है (जो एक मध्यस्थ होने के नाते एक संयुक्त राज्य अमेरिका के रोकने के समझौते का पक्षकार है), जो विदेशी साझेदारी रोकता हो या विदेशी न्यास को रोकता है;

(ख) वित्तीय संस्था फटका करार के अनुच्छेद 1 में संदर्भित किसी ऐसे प्रतिवेदक यू.एस. वित्तीय संस्था द्वारा पूर्णत: धारित, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, है जोकि वित्तीय संस्था के लिए प्रायोजक सत्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत होता है या किसी संबंद्ध वित्तीय संस्था से अपेक्षा करता है; और

(ग) वित्तीय संस्था प्रायोजित सत्ता के साथ साधारण इलेक्ट्रॉनिक खाता प्रणाली को साझा करता है व प्रायोजित असित्व को सभी खाता धारकों और वित्तीय संस्था के प्रापकों को ज्ञात करने में सहायक होता है और वित्तीय संस्था सहित इसके द्वारा रखरखाव किए सभी खाता और ग्राहक सूचना को पहुंच करने में समर्थित करता है; किंतु

यह ग्राहक पहचान सूचना, ग्राहक प्रलेखन, खाता शेष, और खाता धारक या प्रापक को किए गए सभी भुगतानों तक सीमित नहीं हैं,

और जो निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, अर्थात:-

(i) प्रायोजित सत्ता संयुक्त राज्य अमेरिका रजिस्ट्रीकरण वेबसाइट पर लागू रजिस्ट्रीकरण अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय संस्था (जैसे निधि प्रबंधक, न्यासी, कारपोरेट निदेशक या प्रबंध भागीदार) की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत है;

(ii) प्रायोजित सत्ता संयुक्त राज्य अमेरिका रजिस्ट्रीकरण वेबसाइट पर आईआरएस के साथ प्रायोजित सत्ता के रूप में पंजीकृत हुई है;

(iii) यदि प्रायोजित सत्ता वित्तीय संस्था के संबंध में किसी यू.एस. प्रतिवेद्य खातों को ज्ञात करता है, प्रायोजित सत्ता 31 दिसम्बर, 2015 को या पहले और तारीख जोकि ऐसी यू.एस. प्रतिवेद्य खाते को पहली बार ज्ञात करने के नब्बे दिन बाद है, संयुक्त राज्य अमेरिका के लागू रजिस्ट्रीकरण अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय संस्था को रजिस्ट्रीकृत करता है;

(iv) प्रायोजित सत्ता वित्तीय सत्ता की ओर से, पूर्ण समुचित अध्यवसाय के साथ, रोक, प्रतिवेदन तथा अन्य अपेक्षाएं निष्पादित करने के लिए सहमत होता है जोकि वित्तीय सत्ता से अपेक्षित होतीं यदि वह कोई प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय सत्ता होता;

(v) प्रायोजित सत्ता वित्तीय सत्ता की पहचान करता है और वित्तीय सत्ता की ओर से पूरा किए गए सभी प्रतिवेदन में वित्तीय सत्ता की पहचान संख्या शामिल करता है (संयुक्त राज्य अमेरिका की लागू रजिस्ट्रेशन अपेक्षाओं के अनुपालन द्वारा प्राप्त);

(vi) प्रायोजित सत्ता की रद्द प्रायोजक के रूप में प्रस्थिति नहीं है।

(द) "प्रायोजित, घनिष्ठता से धारित निवेश उपाय" का से अभिप्रेत है निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करने वाला कोई वित्तीय सत्ता है, अर्थात:-

(i) एक वित्तीय सत्ता है क्योंकि यह कोई निवेश अस्तित्व है और अर्हता-प्राप्त मध्यस्थ नहीं है (जो एक मध्यस्थ होने के नाते एक संयुक्त राज्य अमेरिका के रोकने के समझौते का पक्षकार है), जो विदेशी साझेदारी रोकता हो या विदेशी न्यास को रोकता है;

(ii) प्रायोजित सत्ता फटका करार के अनुच्छेद 1 में संदर्भित कोई वित्तीय सत्ता , या इस नियम के अनुबंध (2) में संदर्भित कोई प्रतिभागी विदेशी वित्तीय सत्ता है, व वित्तीय सत्ता (जैसे व्यावसायिक प्रबंधक, न्यासी, या प्रबंध भागीदार) की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत है, और प्रायोजित सत्ता वित्तीय सत्ता की ओर से, पूर्ण अपेक्षित उद्यम के साथ, रोक, प्रतिवेदन तथा अन्य अपेक्षाएं निष्पादित करने, जोकि वित्तीय सत्ता से अपेक्षित होतीं यदि वह कोई प्रतिवेदक वित्तीय सत्ता होता;

(iii) वित्तीय सत्ता असंबंधित पक्षों के लिए निवेश उपाय के रूप में कार्य नहीं करता।

(iv) बीस या कम व्यष्टि वित्तीय सत्ता न के सभी ऋण ब्याज और साम्य ब्याज के स्वामी होते हैं (इस नियम के खंड (2) में संदर्भित भागीदार विदेशी वित्तीय सत्ता न और असूचित वित्तीय संस्थानों के स्वामित्व वाले ऋण ब्याज तथा किसी सत्ता के स्वामित्व में आने वाले साम्यता ब्याज यदि वह सत्ता वित्तीय सत्ता न के 100 प्रतिशत साम्यता ब्याज की स्वामी होती है और स्वयं इस खंड में वर्णित एक प्रायोजक वित्तीय सत्ता न होती है, और

(v) प्रायोजक सत्ता निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करती है, अर्थात

(क) यह संयुक्त राज्य अमरीका के साथ एक प्रायोजक सत्ता के रुप में रजिस्ट्रीकृत है;

(ख) प्रायोजक सत्ता वित्तीय सत्ता न की ओर से हर प्रकार की उद्यम, विचारण, रिपोर्ट करना और अन्य अपेक्षाओं का निष्पादन करने के लिए सहमत होती है जो कि वित्तीय सत्ता न द्वारा निष्पादित किया जाना अपेक्षित होता यदि वह एक रिपोर्टिंग वित्तीय सत्ता न होता और वित्तीय सत्ता न के संबंध में छह वर्षों की अवधि हेतु संग्रहित दस्तावेजों को पास रखता;

(ग) प्रायोजक सत्ता वित्तीय सत्ता न की ओर से पूरी की गई सभी रिपोर्टिंग में वित्तीय सत्ता न की पहचान करती है;

(घ) प्रायोजक सत्ता की प्रस्थिति प्रत्याहरित किए गए प्रायोजक के रुप में न हो।

(6) ''रिपोर्टेबल खाता'' से अभिप्राय किसी ऐसे वित्तीय खाते से होता है जिसका पहचान नियम 114एच में उपबंधित प्रक्रिया का सम्यक उद्यम अनुसरण करने के पश्चात निम्नलिखित द्वारा निर्धारित होता है,-

(क) किसी रिपोर्टेबल व्यक्ति द्वारा; अथवा

(ख) किसी सत्ता द्वारा जिसका आधार संयुक्त राज्य अमरीका में न हो परंतु जिस पर नियंत्रण रखने वाले एक या इससे अधिक व्यक्ति कोई विनिर्दिष्ट यू.एस. का व्यक्ति ही हो; अथवा

(ग) किसी निष्क्रिय गैर-वित्तीय सत्ता द्वारा जिस पर नियंत्रण रखनेवाला एक या एक से अधिक व्यक्ति इस नियम के खंड (8) के उपखंड (ख) में विहित व्यक्ति के रुप में हो।

स्पष्टीकरण:- इस खंड के प्रयोजनार्थ,-

(क) ''सक्रिय गैर-वित्तीय सत्ता'' से अभिप्राय किसी भी गैर-वित्तीय सत्ता से होता है जो निम्नलिखित में से कोई भी मानदंड को पूरा करती हो, अर्थात :-

(i) सत्ता की पूर्ववर्ती वित्त वर्ष हेतु सकल आय के पचास प्रतिशत से कम आय निष्क्रिय आय होती है और द्वारा पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के दौरान धारित पचास प्रतिशत से कम की आस्तियां वह आस्तियां होती हैं जो निष्क्रिय आय का निर्माण करती हैं या उनके उत्पादन हेतु धारित की जाती हैं; अथवा

(ii) सत्ता के स्टॉक का व्यापार स्थापित प्रतिभूति बाजार में नियमित रुप से किया जाता है अथवा गैर-वित्तीय ऐसी सत्ता से एक संबंधित होती है जिसके स्टॉक का व्यापार स्थापित प्रतिभूति बाजार में नियमित रुप से किया जाता है;

स्पष्टीकरण:- इस उपखंड के प्रयोजनार्थ, एक स्थापित प्रतिभूति बाजार से अभिप्राय ऐसे विनिमय से होता है जिसे मान्यता मिली हुई है और जिसका पर्यवेक्षण एक सरकारी प्राधिकरण द्वारा किया जाता है जिसमें प्रतिभूति बाजार अवस्थित होता है और जिसका विनिमय पर व्यापार किए गए शेयरों का अर्थपूर्ण वार्षिक मूल्य होता है।

(iii) सत्ता एक सरकारी सत्ता, कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन, केन्द्रीय बैंक या कोई ऐसी होती है जिसका स्वामी पूर्ण रुप से उपर्युक्त में से कोई एक या अधिक ऐसी सत्ता होती है; अथवा

(iv) पर्याप्त रुप से सत्ता की सभी गतिविधियों में किसी वित्तीय न के कारोबार से इतर भिन्न व्यापार या कारोबार में लगी एक या अधिक सब्सिड्यरियों में धारिता (पूर्णत: या अंशत:) शामिल होती है, इसके अलावा कि कोई इस प्रस्थिति हेतु अर्हक नहीं होती है

परन्तु वह एक निवेश निधि जैसे निजी इक्विटी निधि, जोखिम पूंजी निधि, बढ़ी हुई नियंत्रण हेतु खरीद निधि या अन्य किसी निवेश वाहन के रुप में कार्य करती है जिसका प्रयोजन कंपनियों का अधिग्रहण या उन्हें वित्त पोषित करना होता है और तब निवेश प्रयोजनों हेतु पूंजीगत आस्तियों के रुप में उन कंपनियों में हित धारित करना होगा; अथवा

(v) सत्ता अभी कोई कारोबार नहीं करती है और पहले भी प्रचालन से जुड़ा इसका कोई इतिहास नहीं रहा है किंतु यह वित्तीय न से भिन्न किसी कारोबार का प्रचालन करने की मंशा से आस्तियों में पूंजी निवेश कर रही है बशर्ते कि, सत्ता, सत्ता के आरंभिक संगठन की तारीख के चौबीस माह के बाद इस अपवाद हेतु पात्र नहीं होगी है; अथवा

(vi) सत्ता गत पांच वर्षों में कोई वित्तीय न नहीं थी और यह अपनी आस्तियों के परिसमापन की प्रक्रिया में है अथवा वित्तीय न से भिन्न किसी कारोबार में प्रचालन को जारी रखने या दोबारा शुरु करने की मंशा के साथ पुनर्गठन कर रही है; अथवा

(vii) सत्ता मूल रुप से संबंधित ओं जो वित्तीय न नहीं है, को वित्त पोषित करने और उनके साथ अथवा उनके लिए संव्यवहार करने में संलिप्त होती है तथा ऐसी किसी को वित्त पोषित या सेवाएं नहीं प्रदान करती हैं जो कि एक संबंधित सत्ता नहीं होती है, बशर्ते कि ऐसी किसी संबंधित सत्ता का कोई समूह मूल रुप से किसी वित्तीय न से भिन्न किसी कारोबार में लगा होता है; अथवा

(viii) सत्ता निम्नलिखित सभी अपेक्षाओं को पूरा करती है; अर्थात:-

(क) इसे भारत में अनन्य रुप से धार्मिक, धर्मार्थ, वैज्ञानिक, कलात्मक, दौड़ या शैक्षणिक प्रयोजनों हेतु स्थापित और प्रचालित की जाती है अथवा इसे भारत में स्थापित और प्रचालित किया जाता है और यह एक वृतिक संगठन, कारोबारी लीग, चम्बर्स ऑफ कॉमर्स,

श्रमिक संगठन, कृषि या उद्यान कृषि संगठन, सिविक लीग या ऐसा संगठन है जिसका प्रचालन अनन्य रुप से सामाजिक कल्याण हेतु किया जाता है;

(ख) भारत में इसे कर से छूट दी जाती है;

(ग) इसके ऐसे कोई शेयरधारक या सदस्य नहीं है जिनका इसकी आय या आस्तियों में कोई मालिकाना हक या लाभ हो;

(घ) सत्ता के देश तथा राज्य क्षेत्र के प्रयोज्य विधियों अथवा सत्ता के संगठनात्मक दस्तावेज सत्ता की किसी आय या आस्ति को सत्ता की धार्मिक गतिविधियों के अनुसरण में अथवा दी गई सेवाओं की युक्तियुक्त क्षतिपूर्ति के भुगतान के रुप में अथवा सत्ता द्वारा खरीदी गई संपत्ति के उचित मूल्य बाजार का प्रतिनिधित्व करने वाले भुगतान के रुप में किसी निजी व्यक्ति या गैर-धार्मिक में वितरित करने या उनके लाभ हेतु इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देते है; तथा

(ड.) कंपनी के आवास के देश या राज्य क्षेत्र की लागू विधियां अथवा कंपनी के संगठनात्मक दस्तावेज में यह अपेक्षित होता है कि कंपनी के परिसमापन या विघटन होने पर उसकी सभी आस्तियों को किसी सरकारी कंपनी या अन्य गैर-लाभकारी संगठन में वितरित किया जाए अथवा कंपनी के आवास देश तथा राज्य क्षेत्र की सरकार या उसके किसी राजनीतिक उपप्रभाग को सरकारी संपत्तियों सौंप दिया जाए।

स्पष्टीकरण:- इस उपखंड के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को उक्त उपखंड में दिए गए मानदंडों को पूरा किया जाने वाला समझा जाएगा अर्थात:-

(I) खंड (23ड.क) में निर्दिष्ट कोई निवेशक बचाव निधि;

(II) खंड (23ड.ख) में संदर्भित लघु उद्योगों के लिए प्रत्यय गारंटी निधि; और

(III) इस अधिनियम की धारा 10 के खंड 23ड.ग में विनिर्दिष्ट निवेशक बचाव निधि

(ख) ''नियंत्रण करने वाला व्यक्ति'' से ऐसा प्राकृतिक व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी कंपनी पर नियंत्रण रखते हैं तथा इसमें धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 के नियम 9 के उपनियम (3) के अंतर्गत यथा आधारित किए गए अनुसार कोई स्वामी भी फायदा प्रद है।

स्पष्टीकरण1- लाभग्राही स्वामी का अवधारण करने हेतु समय-समय पर संशोधित किए गए अनुसार निम्नलिखित परिपत्रों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया को लागू किया जाएगा, अर्थात:-

(i) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 18 जनवरी, 2013 को जारी किया गया डीबीओडी.ए.एम.एल. बी.सी. सं. 71/14.01.001/2012-13; अथवा

(ii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा 24 जनवरी, 2013 को जारी सीआईआर/एमआईआरएसडी/2/ 2013; अथवा

(iii) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा 4 फरवरी, 2013 को जारी आईआरडीए/एसडीडी/जीडीएल/सीआईआर/ 019/02/2013

स्पष्टीकरण 2- किसी न्यास के मामले में, ऐसे नियंत्रण करने वाले व्यक्ति से व्यवस्थापक, न्यासी, संरक्षक (यदि कोई है), फायदाग्राहियों अथवा फायदाग्राहियों की श्रेणी और अन्य कोई प्राकृतिक व्यक्ति अभिप्रेत है जो न्यास पर संपूर्ण रुप से प्रभावी नियंत्रण रखता है और न्यास से भिन्न किसी कानूनी विधिक व्यवस्था के मामले में उक्त पद से समकक्ष या समान स्थिति के व्यक्तियों से अभिप्रेत है।

(ग) ''गैर-वित्तीय कंपनी '' से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो गैर-वित्तीय नहीं होती है;

(घ) ''निष्क्रिय गैर-वित्तीय '' से निम्नलिखित अभिप्रेत है

(i) कोई भी गैर-वित्तीय जो कि एक सक्रिय गैर-वित्तीय नहीं होती है; अथवा

(ii) इस के खंड (III) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (ख) में वर्णित कोई निवेश कंपनी; अथवा

(iii) एक विधारण विदेशी साझेदारी या विधारण विदेशी न्यास;

(ड़) कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी की ''संबंधित कंपनी'' कहलाती है यदि दोनों एक दूसरे पर नियंत्रण रखती हो अथवा दोनों कंपनियां किसी समान के नियंत्रणाधीन हों।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजन हेतु नियंत्रण में किसी कंपनी के वोट और मूल्य के पचास प्रतिशत से भी अधिक पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से स्वामित्व शामिल है।

(च) ''निष्क्रिय आय'' में (i) लाभांश; (ii) ब्याज; (iii) ब्याज के समकक्ष आय; (iv) भाड़ा और स्वामित्व (गैर-वित्तीय के कर्मचारियों द्वारा कम से कम हिस्से में किए गए किसी कारोबार को सक्रिय रुप से चलाने से उत्पन्न भाड़ा और स्वामित्व से भिन्न); (v) वार्षिकी; (vi) निष्क्रिय आय को उत्पन्न करने वाले वित्तीय आस्तियों के विक्रय या विनिमय से अतिरिक्त लाभ एवं हानि; (vii) किसी वित्तीय आस्ति में संव्यवहारों (जिसमें फ्यूचर्स, फॉरवड्र्स, ऑप्शन्स और समान प्रकार के संव्यवहार शामिल हैं) से हानि की तुलना में हुआ अतिरिक्त लाभ; (viii) विदेशी मुद्रा हानि की तुलना में हुआ अतिरिक्त विदेशी मुद्रा लाभ; (ix) स्कैपों से निवल आय; अथवा (x) नकदी मूल्य बीमा संविदाओं के अंतर्गत प्राप्त राशियों आदि के माध्यम से आय शामिल होती है;

परंतु निष्क्रिय आय में गैर वित्तीय के मामले में जो वित्तीय आस्तियों में नियमित रूप से पर एक डीलर की भूमिका निभाती है, ऐसी आय सम्मलित नहीं होगी जो ऐसे डीलर के रुप में ऐसे डीलर के कारोबार के सामान्य रुप में किसी संव्यवहार से हुई हो।

(7) ''रिपोर्टिंग वित्तीय न'' से अभिप्राय,-

(क) एक वित्तीय न (नॉन-रिपोर्टिंग वित्तीय न सेभिन्न) जोकि भारत का निवासी होता है किंतु जिसमें भारत से बाहर अवस्थित ऐसे न की कोई शाखा नहीं आती है; और

(ख) किसी वित्तीय न (नॉन-रिपोर्टिंग वित्तीय न से भिन्न) की कोई शाखा जो भारत की निवासी नहीं है, यदि वह शाखा भारत में अवस्थित है;

(8) ''रिपोर्टेबल व्यक्ति'' से अभिप्राय-

(क) एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट व्यक्ति; अथवा

(ख) एक या एक से अधिक व्यक्ति: (i) किसी निगम जिसका स्टॉक का व्यापार नियमित रुप से एक या अधिक स्थापित प्रतिभूति बाजारों में किया जाता है; (ii) किसी भी निगम जो कि मद (i) में उल्लिखित निगम की एक संबंधी संस्था होती है; (iii) किसी सरकारी सत्ता; (iv) किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन; (v) किसी केन्द्रीय बैंक; अथवा (vi) किसी वित्तीय न जोकि ऐसे देश या राज्य क्षेत्र की कर विधियों के अधीन भारत देश या राज्य क्षेत्र से बाहर (संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा) किसी भी क्षेत्राधिकार में आता है अथवा ऐसी रियासत के क्षेत्राधिकार के कानूनों के अंतर्गत भारत देश तथा क्षेत्र से बाहर (संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर) किसी क्षेत्राधिकार में आता हो, ऐसी पीढ़ी की संपदा होती है।

(9) ''विनिर्दिष्ट यू.एस.व्यक्ति'' से अभिप्राय एफएटीसीए करार के अनुच्छेद 1 के खंड (चच) के उपखंड (i) से (xiii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न कोई यू एस व्यक्ति होता है।

(10) 'यू.एस. व्यक्ति' से अभिप्राय (क) संयुक्त राज्य अमेरिका का कोई नागरिक (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका की विधियों के अधीन संगठित कोई साझेदारी या निगम या वहां का कोई राज्य (ग) कोई न्यास होता है, यदि (i) संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर ही किसी न्यायालय के पास प्रयोज्य कानून के अधीन न्यास को प्रशासित करने से संबंधित सभी मुद्दों पर पर्याप्त रुप से आदेश या निर्णय जारी करने का प्राधिकार होगा, और (ii) एक या अधिक यू.एस. व्यक्तियों के पास न्यास के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों पर नियंत्रण रखने का प्राधिकार होगा अथवा (घ) किसी पृतक की कोई संपदा जो संयुक्त राज्य अमेरिका का कोई नागरिक या निवासी था।

(11) 'यू.एस. रिपोर्टेबल खाता' से अभिप्राय एक ऐसे वित्तीय खाते से होता है जिसका रखरखाव किसी रिपोर्टिंग वित्तीय न द्वारा होता है और जो निगम 114ज में उपबंधित सम्यक उद्यम प्रक्रिया के अनुसार में एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट यू.एस. व्यक्तियों अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित न होने वाली किसी द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसके नियंत्रण रखने वाला एक या अधिक व्यक्ति विनिर्दिष्ट यू एस व्यक्ति होते हैं।

(12) 'यू एस स्रोत विधारित योग्य भुगतान' से अभिप्राय किसी ब्याज (किसी मूल निर्गम छूट सहित), लाभांश, किराया, वेतन, मजदूरी, प्रीमियम, वार्षिकी, क्षतिपूर्ति, मेहनताना, परिलब्धियों और अन्य निर्धारित या निर्धारणीय वार्षिक या कालिक अभिलाभ, लाभ और आय से होता है यदि ऐसे भुगतानों का स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर ही होता है।

परंतु कि किसी यू.एस. स्रोत विधारित योग्य भुगतान में ऐसा कोई भुगतान सम्मलित नहीं होता है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के सुसंगत राजकोष में एक विधारित योग्य भुगतान नहीं समझा जाता है।

(13) 'विधारित योग्य विदेशी साझेदारी' से अभिप्राय एक ऐसी विदेशी साझेदारी से होता है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किसी विधारित योग्य करार में की जाती है जिसमें यह उसके साझेदारों हितधारियों या स्वामियों हेतु किए गए सभी भुगतानों हेतु प्राथमिक 'विधारण' उत्तरदायित्व को मानने हेतु सहमत होती है।

(14) ''विदहोल्डिंग विदेशी न्यास'' से अभिप्राय किसी ऐसी विदेशी न्यास से होता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कोई करार करता है जिसमें यह अपने साझेदारों, लाभग्राहियों या स्वामियों हेतु किए गए भुगतानों हेतु 'विदहोल्डिंग' प्राथमिक जिम्मेदारियों को मानने हेतु सहमत होता है।

अनुरक्षित एवं सूचित की जाने वाली सूचना:-

114छ. (1) प्रत्येक प्रतिवेद्य खाते से संबंधित निम्नलिखित सूचना प्रतिवेदक वित्तीय संस्था द्वारा अनुरक्षित एवं सूचित की जाएगी, जैसे कि :-

(क) प्रत्येक प्रतिवेद्य व्यक्ति, जो खाते का खाता धारक है, का नाम, पता, करदाता पहचान संख्या (कर प्रयोजनार्थ खाता धारक को उसके निवास संबंधी देश अथवा राज्य क्षेत्र द्वारा समनुदेशित) एवं जन्म की तिथि एवं स्थान (किसी व्यक्ति के मामले में);

(ख) किसी सत्ता के मामले में जो खाता धारक है तथा उसकी, नियम 114 ज में विहित सम्यक उद्यम प्रक्रियाओं के लागू होने के पश्चात्, एक अथवा अधिक नियंत्रक व्यक्तियों, यानी प्रतिवेद्य व्यक्ति के तौर पर पहचान की गई है,-

(i) सत्ता का नाम एवं पता, उसके निवास वाले देश या राज्य क्षेत्र के द्वारा सत्ता को समनुदेशित करदाता पहचान संख्या; और

(ii) ऐसे प्रत्येक नियंत्रक व्यक्ति का नाम, पता जन्म की तिथि एवं स्थान और उसके निवास वाले देश अथवा राज्य क्षेत्र द्वारा ऐसे नियंत्रक व्यक्ति को समनुदेशित करदाता पहचान संख्या;

(ग) खाता संख्या (अथवा खाता संख्या की अनुपस्थिति में कार्यशील समतुल्य);

(घ) सुसंगत कैलेंडर वर्ष की समाप्ति को खाता शेष अथवा मूल्य (नकद मूल्य बीमा संविदा अथवा वार्षिकी संविदा, नकद मूल्य अथवा अभ्यर्पित मूल्य सहित) यदि खाते को ऐसे वर्ष के दौरान बन्द किया गया था तो बन्द होने से अव्यवहित पूर्व;

(ड.) किसी अभिरक्षक खाते के मामले में:

(i) कैलेंडर वर्ष के दौरान खाते में संदत्त की गई अथवा क्रेडिट की गई (अथवा खाते के संबंध में) प्रत्येक मामले में खाते में धारित आस्तियों के बारे में सृजित ब्याज की कुल सकल राशि, लाभांश की कुल सकल राशि तथा अन्य आय की कुल सकल राशि; तथा

(ii) कैलेंडर वर्ष के दौरान खाते में संदत्त की गई अथवा क्रेडिट की गई वित्तीय आस्तियों की बिक्री अथवा मोचन से कुल सकल आय जिसके संबंध में प्रतिवेदक, वित्तीय संस्था के अभिरक्षक**,** ब्रोकर, नामिति के रूप में अन्यथा खाताधारक के लिए एक अभिकर्ता के रूप में कार्य किया;

(च) किसी डिपॉजिटरी खाते के मामले में सुसंगत कैलेंडर वर्ष के दौरान खाते में संदत्त किया गया अथवा क्रेडिट की गयी ब्याज की कुल सकल राशि;

(छ) खंड (ड.) या (च) में निर्दिष्ट किए गए से भिन्न किसी खाते के मामले में, खाते के संबंध में उस सुसंगत कैलेंडर वर्ष के दौरान खाता धारक को संदत्त अथवा क्रेडिट की गई कुल रकम जिसके संबंध में प्रतिवेदक वित्तीय संस्था बाध्यताधारी अथवा ऋणी है, सुसंगत कैलेंडर वर्ष के दौरान खाता धारक को किए गए किसी मोचन भुगतान की कुल रकम सहित; और

(ज) किसी गैर-भागीदार वित्तीय संस्था द्वारा धारित खाते के मामले में, कैलेंडर वर्ष 2015 एवं 2016 के लिए, प्रत्येक गैर-भागीदार वित्तीय संस्था का नाम जिसे भुगतान कर दिया गया है तथा ऐसे भुगतान की कुल रकम;

परंतु यह कि सूचित की जाने वाली सूचना -

(i) कैलेंडर वर्ष 2014 के संबंध में, अमरीकी प्रतिवेद्य खातों से संबंधित सूचना उसके खंड (क), (ख), (ग) एवं (घ) में निर्दिष्ट की गई हो ;

(ii) कैलेंडर वर्ष 2015 के संबंध में, अमरीकी प्रतिवेद्य खातों की सूचना हो तथा उसका खंड (क), (ख) (ग), (घ), (च), (छ), (ज) एवं खंड (ड.) के उप-खंड (।) में निर्दिष्ट की गई हो;

(iii) कैलेंडर वर्ष 2016 के संबंध में, सभी प्रतिवेद्य खातों की सूचना हो तथा उसका खंड (क) से (ज) में निर्दिष्ट की गई हो;

(iv) कैलेंडर वर्ष 2017 एवं पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में, सभी प्रतिवेद्य खातों की सूचना हो तथा उसका खंड (क) से (छ) में निर्दिष्ट किया गया हो;

परंतु यह कि प्रत्येक उस अमरिकी प्रतिवेद्य खाते के संबंध में जिसका 3 जून, 2014 की स्थिति के अनुसार किसी प्रतिवेदक वित्तीय संस्था के द्वारा रखरखाव किया जाता हो, किसी सुसंगत व्यक्ति की करदाता पहचान संख्या सूचित करनी अपेक्षित नहीं हैं यदि ऐसी करदाता पहचान संख्या प्रतिवेदक वित्तीय संस्था के अभिलेखों में नहीं है।

(2) इस उप-नियम (1) के प्रयोजन के लिए,-

(क) "खाताधारक" का अर्थ उस वित्तीय संस्था द्वारा वित्तीय खाता के धारक के रूप में सूचीबद्ध या पहचाने गए व्यक्ति से है जो खाते का रख-रखाव करता है:

परंतु अभिकर्ता, अभिरक्षक, नामिती, हस्ताक्षरकर्ता, निवेश सलाहकार अथवा मध्यवर्ती के रूप में दूसरे व्यक्ति के लाभ अथवा खाते के लिए वित्तीय खाता रखने वाले वित्तीय संस्थान से भिन्न किसी व्यक्ति को खाते के धारक के रूप में नहीं माना जाएगा और ऐसे दूसरे व्यक्ति को खाते के धारक के रूप में माना जाता है:

परंतु यह कि रोकड़ मूल्य बीमा संविदा अथवा वार्षिक संविदा के मामले में खाता धारक कोई व्यक्ति है जो संविदा की मियाद पूरी होने पर भुगतान प्राप्ति का हकदार है अथवा कोई व्यक्ति जो रोकड़ मूल्य तक पहुंच का अथवा संविदा के हिताधिकारी को बदलने का हकदार है और यदि कोई भी व्यक्ति रोकड़ मूल्य तक नहीं पहुंच सकता अथवा हिताधिकारी को नहीं बदल सकता, तो खाता धारक कोई भी व्यक्ति है जिसे संविदा में मालिक के तौर पर नामित किया गया है तथा संविदा की शर्तों के अधीन भुगतान की निहित हकदारी वाला कोई व्यक्ति।

(ख) "करदाता पहचान संख्या" में अभिप्रेत है उस देश अथवा राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को समनुदेशित संख्या है जिसमें वह कर प्रयोजनार्थ एक निवासी है तथा इसमें कार्यात्मक समतुल्य शामिल है यदि ऐसी कोई संख्या समनुदेशित नहीं की गई है;

(3) जहां वह व्यक्ति ऐसे देश अथवा राज्य क्षेत्र के कर कानूनों के अधीन भारत से बाहर एक देश अथवा राज्य क्षेत्र से अधिक का निवासी है तो प्रतिवेदक वित्तीय संस्था ऐसे प्रत्येक देश अथवा क्षेत्र के संबंध में करदाता पहचान संख्या का रखरखाव करेगी।

(4) प्रत्येक प्रतिवेद्य खाते के संबंध में जो पूर्व-विद्यमान खाता है, उप-नियम (।) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, करदाता पहचान संख्या अथवा जन्म तिथि सूचित किए जाने की आवश्यकता नहीं है यदि ऐसी करदाता पहचान संख्या अथवा जन्म तिथि प्रतिवेदक वित्तीय संस्था के अभिलेखों में नहीं है;

परंतु प्रतिवेदक वित्तीय संस्था पूर्व-विद्यमान खातों के संबंध में करदाता पहचान संख्या एवं जन्मतिथि 31 दिसंबर, 2016 तक प्राप्त करेगी तथा कैलेंडर वर्ष 2017 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में इसकी सूचना देगी।

(5) उप नियम (।) एवं उप-नियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, करदाता पहचान संख्या सूचित करने की आवश्यकता नहीं है यदि,

(i) भारत से बाहर उस सुसंगत देश या राज्य क्षेत्र के द्वारा करदाता पहचान संख्या (जिनके अंतर्गत कार्यात्मक समतुल्य भी है) जारी नहीं की गई है जिसका वह व्यक्ति कर प्रयोजनार्थ निवासी है अथवा

(ii) भारत से बाहर सुसंगत देश या राज्य क्षेत्र के घरेलू कानून के अनुसार ऐसे देश या राज्य क्षेत्र के द्वारा जारी करदाता पहचान संख्या का संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है।

(6) उप-नियम (।) अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जन्म स्थान सूचित करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि यह प्रतिवेदक वित्तीय संस्था द्वारा अनुरक्षित इलेक्ट्रिक ढ़ंग से खोजनीय डाटा में उपलब्ध न हो।

(7) धारा 285 ख क की उप धारा (।) के खंड (ट) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिवेद्य खाता विवरणी प्रतिवेदक वित्तीय संस्था द्वारा उस प्रत्येक खाते के संबंध में प्रस्तुत की जाएगी जिसकी पहचान नियम 114 ज में निर्धारित सम्यक उद्यम प्रक्रियाओं के अनुसार, प्रतिवेद्य खाते के रूप में हो चुकी हो;

परंतु जहां ऐसी सम्यक उद्यम प्रक्रियाओं के अनुसार प्रतिवेद्य खाते के रूप में किसी खाते की पहचान न की गई हो, प्रतिवेदक वित्तीय संस्था द्वारा एक शून्य विवरणी प्रस्तुत की जाएगी।

(8) उप नियम (7) में निर्दिष्ट विवरणी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए फार्म संख्या 61 ख में उस वर्ष से अगली 31 मई तक प्रस्तुत की जाएगी;

परंतु कैलेंडर वर्ष 2014 से संबंधित विवरणी अगस्त, 2015 के 31वें दिन तक प्रस्तुत की जाएगी।

(9) (*क*) उप-नियम (7) में निर्दिष्ट विवरणी इस संबंध में प्रधान आयकर महा निदेशक (प्रणाली) द्वारा विनिर्दिष्ट डाटा संरचना के अनुसार अंकीय हस्ताक्षाराधीन इस प्रयोजनार्थ पदाभिहित सर्वर में इ लेक्ट्रानिक डाटा के ऑनलाइन संचारण के माध्यम से आयकर निदेशक (आसूचना एवं आपराधिक जांच) अथवा संयुक्त आयकर निदेशक (आसूचना एवं आपराधिक जांच) को प्रस्तुत की जाएगी।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजननार्थ, "अंकीय हस्ताक्षर" से अभिप्रेत प्रमाणन प्राधिकारियों के नियंत्रक द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किसी प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा जारी अंकीय हस्ताक्षर से है।

(*ख*) प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) डाटा के सुरक्षित कैप्चर एवं संचारण को सुनिश्चित करने, समुचित सुरक्षा को विकसित करने एवं कार्यान्वित करने के लिए, पुरालेखीय पूर्तिकर एवं पुन:प्राप्ति संबंधी नीतियों की प्रक्रियाओं, डाटा संरचनाए तथा मानकों को निर्दिष्ट करेगा।

(10) *(क)* प्रत्येक प्रतिवेदक वित्तीय संस्था प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) को पदाभिहित निदेशक एवं प्रधान अधिकारी का नाम पदनाम एवं संपर्क का ब्यौरा संचारित करेगी तथा रजिस्ट्रीकरण संख्या प्राप्त करेगी।

(*ख*) उप नियम (7) में निर्दिष्ट विवरणी पर प्रतिवेदक वित्तीय संस्था के पदाभिहित निदेशक के द्वारा संस्था के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर हस्ताक्षर, सत्यापन एवं प्रस्तुति की जाएगी:

परंतु जहां प्रतिवेदक वित्तीय संस्था अनिवासी है; विवरणी पर हस्ताक्षर सत्यापन एवं प्रस्तुति उस व्यक्ति के द्वारा किए जाएगे जिसके पास ऐसे पदाभिहित निदेशक के द्वारा जारी विधिमान्य मुख्तारनामा हो।

(ग) प्रत्येक प्रतिवेदक वित्तीय संस्था, उसके पदाभिहित निदेशक, प्रधान अधिकारी एवं कर्मचारियों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे इसके नियामक के द्वारा विनिर्दिष्ट किए अनुसार सूचना के रखरखावा की प्रक्रिया एवं इसके रीति का पालन करें।

स्पष्टीकरण:- इस पदाभिहित उप-नियम के प्रयोजनों के लिए

(क) " पदाभिहित निदेशक" से अभिप्रेत उस व्यक्ति से है जिसे प्रतिवेदक वित्तीय संस्था के द्वारा धारा 285 ख क एवं उसमें बनाए गए नियमों के अधीन दायित्वों के संपूर्ण अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पदाभिहित किया गया हो तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों और इसमें ये सम्मिलित हैं:-

(i) प्रबन्धन निदेशक अथवा पूर्ण कालिक निदेशक, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में दिए अनुसार, यदि प्रतिवेदक वित्तीय संस्था एक कंपनी है तो निदेशक बोर्ड के द्वारा यथा प्राधिकृत;

(ii) प्रबंधन भागीदार यदि प्रतिवेदक वित्तीय संस्था यदि कोई भागीदारी फर्म है तो;

(iii) स्वामी, यदि प्रतिवेदक वित्तीय संस्था कोई मालिकाना संस्था है;

(iv) प्रबंधकारी ट्रस्टी, यदि प्रतिवेदक वित्तीय संस्था कोई न्यास है;

(v) कोई व्यक्ति अथवा व्यष्ठि, जैसा भी मामला हो, जो प्रतिवेदक वित्तीय संस्था के कार्यों को नियंत्रित एवं उनका प्रबंधन करता है यदि प्रतिवेदक वित्तीय संस्था व्यक्तियों का कोई संघ, अथवा व्यष्ठि का अथवा किसी अन्य व्यक्ति का कोई निकाय है।

(ख)- "प्रधान अधिकारी" से तात्पर्य प्रतिवेदक वित्तीय संस्था द्वारा पदाभिहित किसी अधिकारी से है।

(ग)- "विनियामक" से तात्पर्य किसी व्यक्ति अथवा किसी प्राधिकारी अथवा किसी सरकार से है जिसे प्रतिवेदक वित्तीय संस्था के कार्यकलाप को अनुज्ञप्ति देने, प्राधिकृत करने, रजिस्ट्रीकरण करने विनियमित करने अथवा पर्यवेक्षण करने का अधिकार दिया गया है।

11(*क*) उपनियम 10 के खण्ड (*ग*) में निर्दिष्ट नियामक निम्नलिखित को अनुदेश अथवा मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगा :-

(i) नियम 114 च तथा 114 ज के अधीन विनिर्दिष्ट प्रतिवेदक तथा सम्यक उद्यम प्रक्रिया की जरूरतों को सम्मिलित करना;

(ii) प्रतिवेदक वित्तीय संस्था द्वारा सूचना के रखरखाव की प्रक्रिया तथा रीति को उपबंधित करना; तथा

(iii) अपने प्रतिवेदक दायित्व को पूरा करने के लिए प्रतिवेदक वित्तीय संस्था के साथ उपनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करना, यदि ऐसी सूचना ऐसे विनियामक द्वारा जारी किसी नियम अथवा विनियमन के अन्तर्गत इसके द्वारा नहीं रखी जाती है;

(ख) प्रत्येक प्रतिवेदक वित्तीय संस्था समय-समय पर अपने विनियामक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया तथा रीति के अनुसार वित्तीय खातों के बारे में सूचना का रख-रखाव करेगा ताकि इस नियम के अधीन विहित सूचना की प्रतिवेदन में सक्षम हो और नियम 114 ज के अधीन विनिर्दिष्ट सम्यक उद्यम प्रक्रिया का पालन करे।

सम्यक उद्यम की अपेक्षा

114ज. (1) किसी खाते को उस तारीख से प्रारंभ होने वाला प्रतिवेद्य खाता माना जाता है जिसको इसे उप नियम (3) से उप नियम (8) में विनिर्दिष्ट नियम सम्यक उद्यम प्रक्रिया के अनुसार ऐसा होने के लिए परिलक्षित किया गया है, जब तक कि अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, प्रतिवेद्य खाते के बारे में सूचना की कैलेंडर वर्ष से आगामी कैलेंडर वर्ष में प्रति वर्ष रिपोर्ट दी जानी चाहिए जिससे सूचना संबंधित है।

(2) इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

(क) "दस्तावेजी साक्ष्य" में से कोइ भी सम्मिलित होता है, अर्थात:-

(i) किसी प्राधिकृत सरकारी निकाय, जिसमें उस देश या राज्य क्षेत्र की कोई सरकारी एजेन्सी या नगरपालिका सम्मिलित है जिसमें पाने वाला निवासी होने का दावा करता है, द्वारा जारी निवास प्रमाणपत्र;

(ii) किसी व्यक्ति के मामले में, किसी प्राधिकृत सरकारी निकाय जिसके अंतर्गत कोई सरकारी एजेन्सी या नगरपालिका शामिल है, द्वारा व्यक्ति के संबंध में जारी किया गया कोई विधिमान्य पहचान, जिसमें व्यक्ति का नाम शामिल हो और विशेष रूप से पहचान प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होता हो;

(iii) किसी प्राधिकृत सरकारी निकाय के मामले में, जिसके अंतर्गत कोई सरकारी एजेन्सी या नगरपालिका शामिल है, द्वारा किसी सत्ता के संबंध में जारी किया गया कोई शासकीय प्रलेखन जिसमें सत्ता का नाम शामिल हो या उस देश या राज्य क्षेत्र में प्रधान कार्यालय का पता जिसमें निवासी होने का दावा है या देश या राज्य क्षेत्र जिसमें सत्ता निगमित या संगठित की गई थी, से संबंधित हों;

(iv) प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने वाला कोई वित्तीय विवरण, तृतीय पक्षकार क्रेडिट रिपोर्ट, दिवालापन, फाइलिंग करना, अथवा सरकारी एजेन्सी की कोई रिपोर्ट;

(ख) "उच्च मूल्य खाता" में अभिप्रेत उस अतिशेष अथवा मूल्य के साथ पूर्व-विद्यमान व्यष्टि खाते से है कि -

(i) यू. एस. प्रतिवेद्य खाते के मामले में 30 जून, 2014 को अथवा इसके पश्चातवर्ती वर्ष की 31 दिसंबर, को एक मिलियन यू. एस. डालर के बराबर रकम से अधिक होती है; और

(ii) दूसरे प्रतिवेद्य खाते के मामले में 31 दिसंबर, 2015 को अथवा इसके पश्चातवर्ती वर्ष की 31 दिसंबर, को एक मिलियन यू. एस. डालर के बराबर की रकम से अधिक होती है;

(ग) "निम्न मूल्य खाता" का अर्थ अतिशेष अथवा मूल्य के साथ पूर्व-विद्यमान व्यष्टि खाते से है जो,

(i) यू. एस. प्रतिवेद्य खाते के मामले में 30 जून, 2014 को पचास हजार यू. एस. डालर के बराबर राशि से अधिक होती है परन्तु एक मिलियन यू. एस. डालर के बराबर रकम से अधिक नहीं होती है; और

(ii) दूसरे प्रतिवेद्य खातों के मामले में 31 दिसंबर, 2015 को एक मिलियन यू. एस. डालर के बराबर रकम से अधिक नहीं होती है;

(घ) "नया खाता" से अभिप्रेत निम्नलिखित तारीख को अथवा इसके पश्चात खोले गये वित्तीय खाते से है जिसका रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा रख-रखाव किया जाता है,

(i) यू.एस. प्रतिवेद्य खाते के मामले में, 01 जुलाई, 2014; और

(ii) अन्य प्रतिवेद्य खाते के मामले में, 01 जनवरी, 2016;

(ड.) “नया सत्ता खाता” से अभिप्रेत कोई सत्ता अथवा एक से अधिक सत्ताओं द्वारा धारित नये खाते से है;

(च) “नया व्यष्टि खाता” से अभिप्रेत किसी व्यष्टि अथवा एक से अधिक व्यष्टियों द्वारा धारित नये खाते से है;

(छ) “अन्य विद्यमान खाता” से अभिप्रेत किसी प्रतिवेद्य खाते से है जो एक यू. एस. प्रतिवेद्य खाता नहीं है;

(ज) “पूर्व-विद्यमान खाता” से अभिप्रेत निम्नानुसार किसी प्रतिवेद्य वित्तीय संस्था द्वारा रख-रखाव किये गये वित्तीय खाते से है,

(i) यू.एस. प्रतिवेद्य खाते के मामले में, 30 जून, 2014 ; और

(ii) अन्य प्रतिवेद्य खाते के मामले में, 31 दिसंबर 2015;

(i) “पूर्व-विद्यमान सत्ता खाता” का अर्थ एक अथवा एक से अधिक सत्तओं द्वारा धारित पूर्व-विद्यमान खाते से है;

(ञ) “पूर्व-विद्यमान व्यष्टि वैयक्तिक खाता” का अर्थ एक अथवा एक से अधिक व्यष्टियों द्वारा धारित पूर्व-विद्यमान खाते से है;

(ट) जहां किसी अतिशेष अथवा मूल्य अवसीमा को कैलेंडर वर्ष के अन्त में अवधारित किया जाना है तो सुसंगत अतिशेष अथवा मूल्य उस प्रतिवेदन अवधि के अंतिम दिवस को अवधारित किया जाना है जो उस कैलेंडर, वर्ष से अथवा उस कैलेंडर वर्ष के भीतर समाप्त होता है;

(3) पूर्व-विद्यमान व्यष्टि खातों के बीच पहचान करने वाले प्रतिवेद्य खातों के प्रयोजनों के लिए सम्यक उद्यम प्रक्रिया निम्नानुसार होगा, अर्थात:-

(क) पूर्व-विद्यमान व्यष्टि खाते का पुनर्विलोकन किया जाना, उसे पहचाना जाना अथवा रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित नहीं होता है, यदि;

(i) यू.एस. प्रतिवेद्य खाते के मामले में,-

(क) 30 जून, 2014 को इस नियम की खण्ड (ग) की उप खण्ड (VI) के अध्यधीन अतिशेष अथवा मूल्य की राशि पचास हजार यू. एस. डालर के बराबर रकम से अधिक नहीं होती है; अथवा

(ख) वह एक नकद मूल्य बीमा संविदा है अथवा वार्षिकी संविदा है, अतिशेष अथवा मूल्य 30 जून, 2014 को इस उप नियम के खण्ड (ग) की उपखण्ड (vi) के अध्यधीन दो सौ पचास हजार यू. एस. डालर के बराबर की रकम से अधिक नहीं होती है; अथवा

(ग) वह एक नकद मूल्य बीमा संविदा है अथवा एक वार्षिकी संविदा है, प्रतिवेदक वित्तीय संस्था भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसी संविदा को एक व्यक्ति को बेचने से रोका जाता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक निवासी है;

(ii) दूसरे प्रतिवेद्य खाते के मामले में, जो एक नकद मूल्य बीमा संविदा है अथवा एक वार्षिकी संविदा है, प्रतिवेदक वित्तीय संस्था को भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन एक व्यक्ति को ऐसे संविदा की बिक्री करने से रोका जाता है जो कर प्रयोजनार्थ भारत का निवासी नहीं है;

(ख) पूर्व-विद्यमान व्यष्टि खातों के बीच निम्न मूल्य खाते के बारे में निम्नलिखित प्रक्रियाएं लागू होंगी, अर्थात:-

(i) प्रतिवेदक वित्तीय संस्था निम्नलिखित सूचकों में से किसी के लिए प्रतिवेदक वित्तीय संस्था द्वारा रख-रखाव किये गये इलेक्ट्रॉनिकली पता लगाने योग्य आंकड़े का पुनर्विलोकन करना चाहिए तथा उप खण्ड (ii) से (v) में अंतर्विष्ट उपबंधों को लागू करे, अर्थात:

(क) संयुक्त राज्य अमेरिका में कर प्रयोजनों तथा जन्म स्थान के असंदिग्ध संकेत के लिए भारत के बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र के निवासी के रूप में खाता धारक की पहचान; अथवा

(ख) भारत के बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र में मौजूदा मेलिंग अथवा निवासीय पता (जिसके अंतर्गत पोस्ट आफिस बॉक्स भी है); अथवा

(ग) भारत के बाहर देश या राज्य क्षेत्र में एक अथवा एक से अधिक टेलीफोन नंबर्स तथा भारत में कोई टेलीफोन नंबर नहीं; अथवा

(घ) भारत के बाहर देश या राज्य क्षेत्र में रखे गये खाते को निधियां हस्तांतरित करने के लिए स्थायी अनुदेश (निक्षेपागार खाते से संबंधित से भिन्न); अथवा

(ड.) भारत के बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र के पते वाले किसी व्यक्ति को दिया गया सामायिक प्रभावी मुख्तारनामा अथवा हस्ताक्षरी प्राधिकार; अथवा

(च) भारत के बाहर देश या राज्य क्षेत्र में 'होल्डमेल' अनुदेश अथवा 'इन-केयर-ऑफ' पता यदि प्रतिवेदक वित्तीय संस्था के पास खाता धारक का फाइल पर कोई दूसरा पता नहीं है;

(ii) यदि इस धारा के उपखंड (i) में सूचीबद्ध इंडीसिया में से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक खोज में पता नहीं लगता है तो किसी आगामी कार्यवाही की जरूरत नहीं है जब तक परिस्थितियों में परिवर्तन न हो जिसके परिणामस्वरूप एक या अधिक इंडीसिया खातों से जुड़े हों, अथवा खाता उच्च मूल्य खाता न बन जाता हो;

(iii) यदि इलेक्ट्रॉनिक खोज में उप खण्ड (i) की मद संख्या (क) से (ड.) में सूचीबद्ध सूचकांक (इंडीसिया) में से किसी का पता चलता है अथवा यदि उन परिस्थितियों में परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप खाते से एक अथवा एक से अधिक सूचकांकों (इंडीसिया) से संबद्ध रहे हैं, तब प्रतिवेदक वित्तीय संस्था को खाता धारक को प्रत्येक ऐसे देश या राज्य क्षेत्र के कर प्रयोजनार्थ निवासी के रूप में मानना चाहिए जिसके लिए सूचकांक (इंडिसियम) की पहचान की जाती है, जब तक कि यह उप खण्ड (v) लागू करने का चुनाव करता है और उक्त उपखण्ड में छूटों में से एक उस खाते के बारे में लागू होती है;

(iv) यदि इलेक्ट्रॉनिक खोज में "होल्ड मेल" अनुदेश या "इन-केयर ऑफ" पते की खोज होती है और खाता धारक के लिए कोई अन्य पता और उप-खंड (i) के मद (क) से (ङ) में सूचीबद्ध अन्य इंडीसिया की पहचान नहीं होती है तो प्रतिवेदक वित्तीय संस्था को परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त क्रम में खंड (ग) के उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट कागजी रिकॉर्ड खोज लागू करना चाहिए, या ऐसे खाता धारक के कर के प्रयोजनार्थ निवास या निवासों को स्थापित करने के लिए खाता धारक से एक स्व-प्रमाणन या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करना चाहिए:

परंतु यदि कागजी खोज एक इंडीसियम स्थापित करने में विफल रहता है और स्व-प्रमाणन या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास सफल नहीं होता है तो प्रतिवेदक वित्तीय संस्था खाते को एक गैर-दस्तावेजी खाते के रूप में रिपोर्ट करेगा;

(v) उप-खंड (i) के अधीन इंडीसिया के निष्कर्ष के होते हुए भी, किसी प्रतिवेदक वित्तीय संस्था से किसी खाता धारक को कर के प्रयोजनार्थ एक निवासी के रूप में मानने की अपेक्षा नहीं है, -

(a) संयुक्त राज्य अमेरिका का यदि, खाता धारक की सूचना असंदिग्ध रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म की एक जगह को इंगित करता है और प्रतिवेदक वित्तीय संस्था निम्निलखित प्राप्त करता है, या इसने पहले से पुनर्विलोकन की है और निम्नलिखित का एक रिकॉर्ड रखता है,-

(1) एक स्व-प्रमाणन कि खाता धारक कर के प्रयोजनार्थ न तो संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक है और न ही इसका निवासी;

(2) कोई पासपोर्ट अथवा सरकार द्वारा जारी अन्य पहचान जो खाता धारक की संयुक्त राज्य अमेरिका से भिन्न किसी अन्य देश की राष्ट्रीयता अथवा नागरिकता का साक्ष्य दे; और

(3) खाता धारक के संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीयता खोने संबंधी प्रमाण-पत्र की एक प्रति अथवा निम्नलिखित का युक्तियुक्त स्पष्टीकरण:

(1) खाता धारक के पास संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीयता की नागरिकता त्यागने के बाद भी ऐसा प्रमाण-पत्र न होने का कारण; अथवा

(2) खाता धारक द्वारा जन्म के समय अमेरिका की नागरिकता न लेने का कारण;

(b) भारत के बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र का यदि, खाता धारक की सूचना में भारत के बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र में वर्तमान डाक या निवास का पता, भारत के बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र में एक या एक से अधिक टेलीफोन नंबर (और भारत में कोई टेलीफोन नंबर नहीं) या भारत के बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र में अनुरक्षित खाते में निधियों के हस्तांतरण के लिए स्थायी अनुदेश (न्यासी खातों के अलावा अन्य खातों के संबंध में) शामिल है, प्रतिवेदक वित्तीय संस्था निम्नलिखित प्राप्त करता है, या इसने पहले से पुनर्विलोकन किया है और निम्नलिखित का एक रिकॉर्ड रखता है, -

(1) ऐसे खाता धारक के कर के प्रयोजनार्थ निवास के देश या राज्य क्षेत्र अथवा देशों या राज्य क्षेत्रों के खाता धारक से एक स्व-प्रमाणन जिसमें भारत के बाहर कोई देश या राज्य क्षेत्र सम्मलित नहीं है; और

(2) खाता धारक के गैर-प्रतिवेद्य स्थिति को स्थापित करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य;

(ग) भारत के बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र का यदि, खाता धारक की सूचना में भारत के बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र में वर्तमान में प्रभावी कोई मुख्तारनामा या पते के साथ किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकार, भारत के बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र में एक या एक से अधिक टेलीफोन नंबर (यदि कोई भारतीय टेलीफोन नंबर भी खाते से संबद्ध है), प्रतिवेदक वित्तीय संस्था निम्नलिखित प्राप्त करता है, या इसने पहले से पुनर्विलोकन किया है और निम्नलिखित का एक रिकॉर्ड रखता है-

(1) ऐसे खाता धारक के निवास के देश या राज्य क्षेत्र अथवा देशों या राज्य क्षेत्रों के खाता धारक से एक स्व-प्रमाणन जिसमें भारत के बाहर कोई देश या राज्य क्षेत्र सम्मिलित नहीं है; और

(2) खाता धारक के गैर-प्रतिवेद्य स्थिति को स्थापित करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य;

(ग) पूर्व विद्यमान व्यष्टि में मौजूद व्यक्तिगत खातों के बीच उच्च मूल्य खातों के संबंध में निम्नलिखित संवर्धित पुनर्विलोकन प्रक्रियाएं लागू होंगी; अर्थात: -

(i) प्रतिवेदक वित्तीय संस्था को खंड (ख) के उप-खंड (i) में वर्णित किसी भी इंडीसिया के लिए प्रतिवेदक वित्तीय संस्था द्वारा अनुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोज योग्य डाटा का पुनर्विलोकन करना चाहिए;

(ii) यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोज योग्य डाटाबेस में इस खंड के उप-खंड (iii) के लिए स्थान शामिल है, और यह उसमें वर्णित सभी जानकारी को ले लेता है तो इस उप-खंड में निर्धारित एक और कागजी रिकॉर्ड खोज की आवश्यकता नहीं है:

यदि प्रतिवेदक वित्तीय संस्था का इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोज योग्य डाटाबेस इस खंड के उप-खंड (iii) में वर्णित सभी जानकारी को नहीं लेता है तो प्रतिवेदक वित्तीय संस्था को मौजूदा ग्राहक मास्टर फाइल में अंतविर्दिष्ट नहीं किये गये विस्तार तक साम्यिक ग्राहक मास्टर फाइल, खंड (ख) के उप-खंड (i) में उपबंधित किसी भी इंडीसिया के लिए खाते से संबद्ध और पिछले पांच वर्षों में प्रतिवेदक वित्तीय संस्था द्वारा प्राप्त निम्नलिखित दस्तावेजों का भी पुनर्विलोकन करेगा,-

(क) खाते संबंधी संग्रहित अत्यन्त नया दस्तावेजी साक्ष्य;

(ख) अत्यन्त नया का खाता खोलने संबंधी संविदा अथवा प्रलेखन;

(ग) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अधीन बनाये गये नियमों के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिवेदक वित्तीय संस्था द्वारा प्राप्त नवीनतम प्रलेखन;

(घ) सामयिक प्रभावी कोई मुख्तारनामा अथवा हस्ताक्षरी प्राधिकार के प्रारूप; और

(ङ) सामयिक प्रभावी निधियों के हस्तांतरण के लिए कोई स्थायी अनुदेश (किसी न्यासी खाते से संबंधित खाते से भिन्न);

परंतु जहां इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोज योग्य डाटा बेस के लिए क्षेत्र और इस खंड के उपखंड 3 में निर्दिष्ट अधिग्रहित सभी सूचना सम्मिलित है तब ग्राहक मास्टर फाइल और उपरोक्त निर्दिष्ट दस्तावेजों का पुनर्विलोकन अपेक्षित नहीं।

(iii) जहां तक प्रतिवेदक वित्तीय संस्था की इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोज योग्य सूचना में निम्नलिखित शामिल है, किसी प्रतिवेदक वित्तीय संस्था को इस खंड के उप-खंड (ii) में वर्णित कागजी रिकॉर्ड खोज करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात:-

(क) कर के प्रयोजनार्थ खाता धारक की निवास स्थिति; और

(ख) प्रतिवेदक वित्तीय संस्थान की फाइलों में फिलहाल खाता धारक के निवास का पता तथा डाक पता; और

(ग) प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान की फाइल में फिलहाल खाता धारक की टेलीफोन संख्या या संख्याएं, यदि कोई हो; और

(घ) न्यासी खातों के अलावा वित्तीय खातों के मामले में, एक खाते से दूसरे खाते में निधियों के हस्तांतरण के लिए स्थायी अनुदेश हैं या नहीं (जिसके अंतर्गत प्रतिवेदक वित्तीय संस्था या किसी अन्य वित्तीय संस्था की अन्य शाखा में कोई खाता भी है); और

(ङ) क्या खाता धारक का वर्तमान में "इन-केयर ऑफ" पता अथवा "होल्ड मेल" पता है; और

(च) क्या खाते के लिए कोई मुख्तारनामा अथवा हस्ताक्षरी प्राधिकार है;

(iv) (iii) इस खंड के उप-खंड (i) से (iii) में में उपबंधित इलेक्ट्रॉनिक और कागजी रिकॉर्ड खोजों के अलावा, प्रतिवेदक वित्तीय संस्था को किसी रिलेशनशिप प्रबंधक को सौंपे गए किसी उच्च मूल्य खाते को एक प्रतिवेद्य खाते के रूप में मानना चाहिए (उस उच्च मूल्य के खाते के साथ संयुक्त किसी वित्तीय खातों सहित) यदि रिलेशनशिप प्रबंधक को वास्तव में इस बात की जानकारी है कि धाता धारक एक प्रतिवेद्य व्यक्ति है;

(v) उप खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट पुनर्विलोकन प्रक्रियाओं को लागू करने के बाद, यदि,-

(क) खंड (ख) के उप-खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट किसी इंडीसिया का पता नहीं चलता है, और खाते की उप-खंड (iv) में किसी प्रतिवेद्य व्यक्ति द्वारा धारित किए जाने के रूप में पहचान नहीं होती है तो आगे की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है जब तक कि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है जिसके परिणामस्वरूप एक या उससे अधिक इंडीसिया खाते से संबद्ध न हो जाए;

(ख) खंड (ख) के उपखंड (i) के मद (क) से (ङ) में उल्लिखित किसी इंडीसिया का पता चलता है, या तत्पश्चात् परिस्थितियों में कोई परिवर्तन आता है जिसके परिणामस्वरूप एक या उससे अधिक इंडीसिया खाते से संबद्ध होता है तो प्रतिवेदक वित्तीय संस्था को तब तक खाते को भारत से बाहर प्रत्येक देश या राज्य क्षेत्र के संबंध में एक प्रतिवेद्य खाते के रूप में मानना चाहिए जिसके लिए किसी इंडीसियम की पहचान की गई है जब तक कि यह खंड (ख) के उप-खंड (v) को लागू नहीं करता है और ऐसे उप-खंड का एक अपवाद उस खाते के संबंध में लागू नहीं होता है;

(ग) इलेक्ट्रॉनिक खोज में "होल्ड मेल" अनुदेश या "इन-केयर ऑफ" पते का पता चलता है और खाता धारक के लिए किसी अन्य पते और खंड (ख) के उपखंड (i) के मद (क) से (ङ) में निर्दिष्ट अन्य इंडीसिया की पहचान नहीं होती है तो प्रतिवेदक वित्तीय संस्था को खाता धारक के कर के प्रयोजनार्थ निवास या निवासों को स्थापित करने के लिए ऐसे खाता धारक से एक स्व-प्रमाणन या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करना चाहिए:

परंतु यदि प्रतिवेदक वित्तीय संस्था इस प्रकार का स्व-प्रमाणन और दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता है तो इसे खाते को एक गैर-दस्तावेजी खाते के रूप में रिपोर्ट करना चाहिए;

(vi) यदि कोई पूर्व विद्यमान व्यष्टि खाता 30 जून, 2014 (यू. एस प्रतिवेद्य खाता), या 31 दिसंबर, 2015 (अन्य प्रतिवेद्य खाते के लिए), जैसा भी मामला हो, को एक उच्च मूल्य खाता नहीं है, किन्तु वर्ष 2015 के अंतिम दिन (यू. एस

प्रतिवेद्य खाते के लिए), या किसी भी तत्पश्चात् कैलेंडर वर्ष के अंतिम दिन (सभी प्रतिवेद्य खातों के लिए) एक उच्च मूल्य खाता हो जाता है तो प्रतिवेदक वित्तीय संस्था को खाते के उच्च मूल्य खाता होने के वर्ष के बाद के कलैंडर वर्ष के भीतर इस प्रकार के खाते के संबंध में इस खंड में विनिर्दिष्ट संवर्धित पुनर्विलोकन प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा और इस प्रकार की पुनर्विलोकन के आधार पर यदि खाते की प्रतिवेद्य खाते के रूप में पहचान की जाती है तो प्रतिवेदक वित्तीय संस्था को तब तक वार्षिक आधार पर उस वर्ष और तत्पश्चात् वर्षों के संबंध में ऐसे खाते के बारे में अपेक्षित सूचना देनी होगी जिस वर्ष इसकी एक प्रतिवेद्य खाते के रूप में पहचान की गई थी, जब तक खाता धारक एक प्रतिवेद्य व्यक्ति नहीं रहता है;

(vii) एक बार किसी प्रतिवेदक वित्तीय संस्था द्वारा किसी उच्च मूल्य खाते पर इस खंड में विनिर्दिष्ट संवर्धित पुनर्विलोकन प्रक्रियाओं को लागू करने पर, प्रतिवेदक वित्तीय संस्था को तब तक किसी तत्पश्चात् वर्ष में उसी उच्च मूल्य खाते में उप-खंड (iv) में उपबंधित रिलेशनशिप प्रबंधक द्वारा जांच के अलावा ऐसी प्रक्रियाओं के पुन: प्रयोग की आवश्यकता नहीं है जब तक खाता गैर दस्तावेजी नहीं हो जाता है, जहां प्रतिवेदक वित्तीय संस्था को प्रतिवर्ष उन्हें फिर से तब तक प्रयोग करना होगा जब तक कि इस प्रकार का खाता गैर-दस्तावेजी नहीं हो जाता है;

(viii) यदि उच्च राशि के खातों को लेकर परिस्थितियों में कोई परिवर्तन है जिसकी परिणति खाते से जुड़े खण्ड (ख) के उप-खंड (i) में निर्दिष्ट एक या अधिक साक्ष्यों में हुई हो तो रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्थान उस खाते को भारत से बाहर ऐसे प्रत्येक देश या राज्य क्षेत्र के संबंध में एक रिपोर्ट योग्य खाते के रूप में माने जब तक कि वह खंड (ख) के उप खंड (v) को प्रयोग में नहीं लेता और जब तक कि इन उप-खंडों के अपवादों में से एक उस खाते के संदर्भ में लागू नहीं होता;

(ix) एक रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्थान को ऐसी प्रक्रियायों को लागू करना होगा जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि रिलेशनशिप मैनेजर खाते के परिस्थितियों में किसी बदलाव की पहचान करता है और जहां रिलेशनशिप मैनेजर को सूचित किया जाता है कि यदि खाताधारक का भारत से बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र में नया डाक पता है, तो रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्थान से अपेक्षित है कि वह नए पते को तथ्यों में बदलाव के रूप में ले तथा यदि यह खंड (ख) के उप-खंड (v) को प्रयोग में लेता है, तो उसके द्वारा खाता धारक से समुचित दस्तावेज प्राप्त किए जाने अपेक्षित हैं।

(i) पूर्व विद्यमान व्यष्ठि खाते का पुनर्विलोकन-

(ii) यू.एस रिपोर्ट योग्य खाते के मामले में, जोकि 30 जून, 2014 के अनुसार उच्च रकम वाला खाता हो, 31 दिसंबर, 2015 तक इसका पुनर्विलोकन आवश्यक रूप से हो जाना चाहिए तथा यदि इस पुनर्विलोकन के आधार पर इस प्रकार के खाते की पहचान 31 दिसंबर, 2015 को या उससे पहले यू.एस. रिपोर्ट योग्य खाते के रूप में की जाती है, तो रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्थान द्वारा कैलेंडर वर्ष 2014 के संबंध में ऐसे खाते के बारे में सूचना देना आवश्यक नहीं है, परन्तु इसके बाद वार्षिक आधार पर उस खाते के बारे में सूचना अवश्य देनी होगी;

(ii) यू.एस.रिपोर्ट योग्य खाते के मामले में, जो 30 जून, 2014 के अनुसार कम मूल्य वाला खाता हो, या अन्य रिपोर्ट योग्य खाते के मामले में, जो 31 दिसंबर, 2015 के अनुसार उच्च मूल्य वाला खाता हो, की समीक्षा 30 जून, 2016 तक अवश्य पूरी हो जानी चाहिए;

(iii) अन्य रिपोर्ट योग्य खाते के मामले में, जोकि 31 दिसंबर, 2015 के अनुसार कम मूल्य वाला खाता हो, की समीक्षा 30 जून, 2017 तक अवश्य पूरी हो जानी चाहिए।

(ड.) कोई भी पूर्वविद्यमान व्यष्ठि खाता, जिसकी इस उपनियम के तहत एक रिपोर्ट योग्य खाते के रूप में पहचान की गई हो, को सभी तत्पश्चात वर्षों में एक रिपोर्ट योग्य खाते के रूप में माना जाना चाहिए, जब तक कि खाता धारक ऐसे देश या राज्य क्षेत्र की कर विधियों के अनुसार भारत से बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र का निवासी रहा हो।

(4) नए व्यक्तिगत खातों में से रिपोर्ट योग्य खातों की पहचान करने के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित प्रक्रियाओं को लागू किया जाएगा, अर्थात:-

(क) जब तक कि रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्थान उसे अन्यथा न चुने, निम्नलिखित नए व्यक्तिगत खातों का पुनर्विलोकन किए जाने या यू.एस रिपोर्ट योग्य खाते के रूप में रिपोर्ट किए जाने की आवश्यकता नहीं है अर्थात:-

(i) कोई निक्षेपागार खाता, किसी भी कैलेंडर वर्ष के अंत में पचास हजार अमरीकी डॉलर की समतुल्य राशि से अधिक नहीं होता;

(ii) नकद मूल्य का बीमा संविदा किसी भी कैलेण्डर वर्ष के अंत में मूल्य पचास हजार अमरीकी डालर की समतुल्य राशि से अधिक न हो।

(ख) नए व्यक्तिगत खाते के मामलों में,-

(i) यू.एस. रिपोर्ट योग्य खाते के संबंध में, जो खंड (क) के उप-खंडों (i) और (ii) के अधीन नहीं आता है, खाता खोलने पर (या कैलेण्डर वर्ष के अंत के पश्चात 90 दिनों के भीतर जिसमें खाता खंड (क) के उप-खंडों (i) और (ii) में वर्णित होना समाप्त हो जाता है); और

(ii) अन्य रिपोर्ट योग्य खाते के संबंध में, खाता खोलने पर, रिपोर्ट करने वाले वित्तीय संस्थान को स्वत: प्रमाणन प्राप्त करना चाहिए, जो खाता खोलने के दस्तावेजों का भाग हो सकता है, जो रिपोर्ट करने वाले वित्तीय संस्थान को कर प्रयोजनों के लिए खाता धारक के निवास और निवासों को अवधारित करने की अनुमति देता है और खाता खोलने के संबंध में रिपोर्ट करने वाले वित्तीय संस्थान द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर ऐसे स्व-प्रमाणन के युक्ति-युक्तता की पुष्टि करना है, जिसमें धन शोधन निवारण (रिकार्ड का अनुरक्षण) नियम, 2005 के अनुसार में एकत्रित किया गया कोई दस्तावेज सम्मिलित है;

(ग) जहां इस उप-नियम के खंड (ख) के तहत प्राप्त किया गया स्व-प्रमाणन प्रमाणित करता है कि खाता धारक भारत से बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र में कर प्रयोजनों के लिए निवासी है, रिपोर्ट करने वाले वित्तीय संस्थान के खाते को रिपोर्ट करने योग्य खाता माना जाना चाहिए और स्व-प्रमाणन में नियम 114 छ के उप-नियम (5) और जन्म तारीख के अध्यधीन भारत से बाहर ऐसे देश या राज्य क्षेत्र के संबंध में खाता धारक की करदाता पहचान संख्या भी सम्मिलित होनी चाहिए;

(घ) जहां नए व्यक्तिगत खाते के लिए इस उप-नियम के खंड (ख) के तहत स्व-प्रमाणन प्राप्त किया गया है और यदि ऐसे खाते के संबंध में परिस्थितियों का परिर्वतन है जो रिपोर्ट करने वाले वित्तीय संस्थान को यह जानने का कारण बनता है या जानने का कारण है कि उक्त स्व-प्रमाणन गलत या अविश्वसनीय है, तो रिपोर्ट करने वाला वित्तीय संस्थान उक्त स्व-प्रमाणन पर विश्वास नहीं करेगा और उसे विधिमान्य स्व-प्रमाणन प्राप्त करना होगा जो खाता धारक के कर प्रयोजनों के लिए निवास या निवासों को प्रमाणित करता है:

परंतु कि यदि रिपोर्ट करने वाली संस्था विधिमान्य स्व-प्रमाणन प्राप्त करने में असमर्थ है, तो रिपोर्ट करने वाले वित्तीय संस्थान को भारत से बाहर प्रत्येक ऐसे देश या राज्य क्षेत्र, जिसके लिए इंडिसियम की पहचान की जाती है, के संबंध में रिपोर्ट योग्य खाते के रूप में खाते को मानना चाहिए।

(5) पूर्वविद्यमान कंपनी खातों में रिपोर्ट योग्य खातों की पहचान करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित प्रक्रियाएं लागू होगी, अर्थात्:-

(क) जब तक रिपोर्ट करने वाला वित्तीय संस्था या तो पूर्व विद्यमान सभी कंपनी खातों या पृथकत:, ऐसे खातों की किसी स्पष्ट रूप से पहचान किए गए समूह के संबंध में अन्यथा चयन नहीं करती है, तब तक समग्र खाता अतिशेष या मूल्य जो 30, जून को (यू.एस. रिपोर्ट योग्य खाते के मामले में) दो सौ पचास हजार अमरीकी डालर की समतुल्य रकम से अधिक नहीं है, या यथास्थिति, 31 दिसंबर, 2015 (अन्य रिपोर्ट योग्य खाते के मामलों में) को पहचान या रिपोर्ट करने योग्य खाते के रूप में पुनर्विलोकन करना अपेक्षित नहीं जब तक कि कुल खाता शेष या मूल्य किसी पश्चातवर्ती के कैलेण्डर वर्ष के अंतिम दिन को दो सौ पचास हजार अमरीकी डालर से अधिक नहीं होता है;

(ख) पूर्वविद्यमान कंपनी खाता जिसमें कुल खाता शेष या मूल्य जो 30 जून, 2014 को (यूएस रिपोर्ट योग्य खाते के मामले में) दो सौ पचास हजार अमरीकी डालर के समतुल्य रकम से अधिक है, या यथास्थिति, 31 दिसंबर, 2015 (अन्य रिपोर्ट योग्य खाते के मामले में, और पूर्वविद्यमान कंपनी खाता जो 30 जून, 2014 को (यू एस रिपोर्ट योग्य खाते के मामले में) दो सौ पचास हजार अमरीकी डालर के समतुल्य राशि से अधिक नहीं हैं, या यथास्थिति, 31 दिसंबर, 2015 (अन्य रिपोर्ट योग्य खाते के मामले में) परन्तु कुल खाता शेष या मूल्य किसी पश्चातवर्ती कैलेण्डर वर्ष के अंतिम दिन को दो सौ पचास हजार के समतुल्य राशि से अधिक हो जाता है तो इस उप-नियम के खंड (घ) में प्रदत्त प्रक्रिया के अनुसार पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए;

(ग) खंड (ख) में उल्लिखित पूर्वविद्यमान कंपनी खातों के संबंध में, केवल वे खाते जो निम्नलिखित द्वारा धारित हैं-

(i) एक या अधिक कंपनियां जो रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति हैं; या

(ii) एक या अधिक नियंत्रण करने वाले ऐसे व्यक्ति के साथ निष्क्रिय गैर-वित्तीय कंपनी जो रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति हैं,

को रिपोर्ट करने योग्य खातों के रूप में माना जाएगा;

परंतु गैर-भागीदार वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित खाते जिनके लिए नियम 114 छ के उप-नियम (1) के खंड (ज) में यथा उपबंधित कुल भुगतानों को रिपोर्ट किया जाता है रिपोर्ट योग्य खातों के रूप में माना जाएगा;

(घ) खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्वविद्यमान कंपनी खातों के संबंध में जिनके संबंध में रिपोर्ट करना अपेक्षित है, कोई रिपोर्ट करने वाला वित्तीय संस्था निर्धारित करेगा कि क्या खाता एक या अधिक रिपोर्ट योग्य व्यक्तियों द्वारा धारित है या एक या अधिक नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों के साथ निष्क्रिय गैर-वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित है जो रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति है या गैर-भागीदार वित्तीय संस्था द्वारा धारित है, के लिए निम्नलिखित पुनर्विलोकन प्रक्रिया लागू की जानी चाहिए, अर्थात्:-

(i) यह अवधारित करने के लिए क्या रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति कंपनी है, रिपोर्ट करने वाली संस्था,-

(क) यह अवधारित करने के लिए कि क्या सूचना यह उपदर्शित करती है कि खाता धारक रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति है, विनियामक या ग्राहक संबंध प्रयोजनों के लिए (जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार एकत्रित सूचना भी है) रखी गई सूचना का पुनर्विलोकन करेगी।

स्पष्टीकरण:- इस उप खंड के प्रयोजनार्थ, यह उपदर्शित करने वाली सूचना कि खाता धारक किसी ऐसे देश या राज्य क्षेत्र, जिसमें निगमन का स्थान या संगठन या भारत से बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र में कोई पता शामिल है, की कर विधियों के अनुसार भारत से बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र का निवासी है;

(ख) खाते को रिपोर्ट करने योग्य खाता मानेगा, यदि मद (क) के अनुसार सूचना यह उपदर्शित करती है कि खाता धारक एक रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति है, जब तक कि यह खाता धारक से स्व-प्रमाण अभिप्राप्त नहीं करता या इसके स्मामित्व में या जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, के आधार पर समुचित रूप से निर्धारित करता है कि खाता धारा रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति नहीं है:
नहीं करता या इसके कब्जे में जानकारी या जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, के आधार पर युक्तियुक्त रूप से अवधारित करता है कि खाता धारक रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति नहीं है:

परंतु कि मद (क) के अनुसार सूचना यह उपदर्शित करती है कि खाता धारक संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित कंपनी नहीं है अर्थात वित्तीय संस्था या रिपोर्ट करने वाला संस्था खाता धारक की वैश्विक मध्यवर्ती पहचान संख्या को सत्यापित करती है तो खाते को यू.एस. रिपोर्ट करने योग्य खाते के रूप में नहीं माना जाएगा।

(ii) खाता धारकों को गैर-भागीदार वित्तीय संस्था मानेगा यदि,

(क) खाता धारक एक भारतीय वित्तीय संस्था है या अन्य भागीदार अधिकारिता वित्तीय संस्था है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गैर-भागीदार वित्तीय संस्थान के रूप में माना गया है;

(ख) खाता धारक जो वित्तीय संस्था है या एक भारतीय वित्तीय संस्था या अन्य भागीदार वित्तीय संस्था नहीं है, जब तक कि रिपोर्ट करने वाला वित्तीय संस्था -

(I) खाता धारक से स्व-प्रमाण प्राप्त नहीं करती है कि यह नियम 114 च के खंड (5) के उप- खंड (क) से (ड) में उल्लिखित वित्तीय संस्था है; या

(II) एफएटीसीए करार के उपाबंध 2 में परिभाषित भागीदार विदेशी वित्तीय संस्था या नियम 114च के खंड (v) के उप-खंडों (ड.) से (ड) में निर्दिष्ट वित्तीय संस्था की दशा में खाता धारक के वैश्विक मध्यवर्ती पहचान संख्या को सत्यापित करता है;

(iii) रिपोर्ट करने वाली वित्तीय संस्था अवधारित करेगी कि खाता धारक एक या अधिक नियंत्रण करने वाले के साथ निष्क्रिय गैर-वित्तीय कंपनी है जो ऐसे देश या राज्य क्षेत्र की कर विधियों के अनुसार भारत से बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र के निवासी है और इन अवधारणों को बनाने में रिपोर्ट करने वाली वित्तीय संस्था को निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, अर्थात्-

(क) यह निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए कि क्या खाता धारक एक निष्क्रिय गैर-वित्तीय कंपनी है, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान को खाता धारक से उसकी स्थिति को प्रमाणित करने के लिए स्व-प्रमाण प्राप्त करना चाहए, जब तक कि यह सूचना इसके कब्जे में या सार्वजनिक रूप से उपलबध न हो, जिसके आधार पर युक्तियुक्त रूप से अवधारित कर सकता है कि खाता धारक गैर-वित्तीय कंपनी या नियम 114च के खंड (3) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उप-खंड, (ख) में निर्दिष्ट निवेश कंपनी को छोड़कर वित्तीय संस्था है,

(ख) किसी खाता धारक के नियंत्रण करने वाले व्यक्तियों को अवधारित करने के प्रयोजन से रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार एकत्रित और रखी गई सूचना पर निर्भर कर सकेगा;

(ग) यह निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या निष्क्रिय गैर-वित्तीय कंपनी का पूर्व-विद्यमान खाते का नियंत्रण करने वाला व्यक्ति रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति है, रिपोर्टिंग
वित्तीय संस्था निम्नलिखित पर निर्भर कर सकेगा-

(I) कुल शेष या मूल्य जो एक मिलियन अमरीक डालर के समकक्ष राशि से अधिक नहीं होता के साथ एक या अधिक गैर-वित्तीय कंपनी द्वारा धारित पूर्व-विद्यमान कंपनी खाते के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार एकत्रित और रखी गई सूचना; या

(II) खाता धारक से स्व-प्रमाणन या निष्क्रिय गैर-वित्तीय कंपनी के ऐसे नियंत्रण करने वाले व्यक्ति जिनका खाता शेष या मूल्य एक मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य राशि से अधिक है।

(घ) यदि किसी निष्क्रिय गैर-वित्तीय कंपनी का कोई नियंत्रण करने वाला व्यक्ति कर प्रयोजनों के लिए भारत से बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र का निवासी है तो खाते को रिपोर्ट करने योग्य माना जाएगा;

(ङ) पूर्व-विद्यमान कंपनी खातों को निम्नलिखत अतिरिक्त प्रक्रियांए लागू होंगी, अर्थात्:

(i) 30 जून, 2014 (अमरीकी रिपोर्ट करने योग्य खाते के मामले में) को दो सौ पचास हजार अमरीकी डालर के समतुल्य राशि से अधिक कुल खाता अतिशेष या मूल्य वाले पूर्व-विद्यमान कंपनी खातों, या यथास्थिति की पुनर्विलोकन 31 दिसंबर, 2015 को (अन्य रिपोर्ट करने योग्य खाते के मामले में) और 30 जून, 2016 तक पुनर्विलोकन पूरा किया जाना चाहिए;

(ii) 30 जून, 2014 (अमरीकी रिपोर्ट करने योग्य खाते के मामले में) को दो सौ पचास हजार अमरीकी डालर के समतुल्य राशि से अधिक कुल खाता अतिशेष या मूल्य अधिक न होने वाले पूर्व-विद्यमान कंपनी खातों का पुनर्विलोकन, यथास्थिति 31 दिसंबर, 2015 के (अन्य रिपोर्ट करने योग्य खाते के मामले में) पश्चातवर्ती वर्ष के 31 दिसंबर को दो सौ पचास हजार अमरीकी डालर के समतुल्य राशि से अधिक है तो पुनर्विलोकन अगले कैलेण्डर वर्ष जिसमें कुल खाता अतिशेष या मूल्य दो सौ पचास हजार अमरीकी डालर के समतुल्य राशि से अधिक है, के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

(iii) पूर्व-विद्यमान कंपनी खाते के संबंध में परिस्थितियों में यदि कोई परिवर्तन होता है जिसे रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था जानना चाहता है या उसके पास जानने का कारण है, कि स्व-प्रमाणन या खाते से संबद्ध अन्य दस्तावेज गलत या अविश्वसनीय है तो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को इस उप-नियम के खंड (घ) में दी गई प्रक्रिया के अनुसार खाते की प्रास्थिति पुन: अवधारित करनी चाहिए।

(6) नए कंपनी खातों में रिपोर्ट करने योग्य खातों या गैर-भागीदार वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित खातों की पहचान के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं लागू होंगी, अर्थात:

(क) किसी रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को अवधारित करना होगा कि नई कंपनी का खाता रिपोर्ट करने योग्य है, निम्नलिखित पुनर्विलोकन प्रक्रिया को लागू करेगी अर्थात:
(i)अवधारित करेगा कि क्या कंपनी रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति है और उसके लिए रिपोर्टिंग संस्था,-

(क) स्व-प्रमाणन प्राप्त करेगा, जो खाता खोलने के दस्तावेज का भाग हो सकेगा, जो रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था को कर प्रयोजनों के लिए खाता धारक के निवास
या निवासों को अवधारित करने की अनुमति देता है और धन शोधन निवारण

(ख) अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार एकत्रित किसी दस्तावेज सहित खाते को खोलने के संबंध में रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा प्राप्त सूचना पर आधारित ऐसे स्व-प्रमाणन के औचित्य की पुष्टि करता है;

परंतु यदि कंपनी यह प्रमाणित करती है कि कर प्रयोजनों के लिए उसका कोई निवास नहीं है, तो रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था खाता-धारक का निवास सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के प्रधान कार्यालय के पते का आश्रय निर्भर हो सकेगी;

(ख) यदि मद (क) के अनुसार जानकारी से यह इंगित होता है कि खाता-धारक एक रिपार्ट योग्य व्यक्ति है जब तक कि उसके कब्जे में या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर युक्तियुक्त रूप से यह अवधारित नहीं हो जाता है कि खाताधारक एक रिपोर्ट योग्य व्यक्ति नहीं है, तब तक खाते को रिपोर्ट योग्य खाता ही माना जाएगा;

परंतु यदि मद (क) के अनुसार जानकारी से यह इंगित होता है कि खाता-धारक एक ऐसी भारतीय वित्तीय संस्था अथवा भागीदार अधिकारिता वित्तीय संस्था है जो एक भाग न लेने वाली वित्तीय संस्था नहीं है अथवा एक सहभागी विदेशी वित्तीय संस्था नहीं है, तो खाते को एक (यू.एस) अमरीकी रिपार्ट योग्य खाता नहीं माना जाएगा ;

(ii) यह अवधारित करना है कि क्या खाता-धारक एक निष्क्रिय गैर-वित्तीय कंपनी है जिसमें एक या अधिक ऐसे नियंत्रणकर्ता व्यक्ति हैं जो रिपोर्ट योग्य व्यक्ति हैं या नहीं, और इन अवधारणाओं को करते समय रिपोर्ट करने वाली वित्तीय संस्था को निम्नलिखित प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी:-

(क) यह अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए कि खाताधारक एक विनिर्दिष्ट अमरीकी व्यक्ति (यू.एस) या एक निष्क्रिय गैर-वित्तीय कंपनी है, रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था को उसकी प्रास्थिति अवधारित करने के लिए खाता-धारक से एक स्व:-प्रमाण-पत्र तब तक निर्भर करेगा, जब तक कि उसके पास या सार्वजनिक रूप से ऐसी जानकारी न उपलब्ध हो जाए जिसके आधार पर यह युक्तियुक्त रूप से अवधारित किया जा सकता है कि खाता धारक एक निष्क्रिय गैर-वित्तीय कंपनी नहीं है।

(ख) किसी खातेधारक का नियंत्रण करने वाले व्यक्तियों का अवधारण करने के लिए एक रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार एकत्रित एवं रखी गई जानकारी पर निर्भर कर सकेगा;

(ग) यह अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए कि एक निष्क्रिय गैर-वित्तीय कंपनी का नियंत्रण करने वाला व्यक्ति एक रिपोर्ट योग्य व्यक्ति है या नहीं, रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था खाता-धारक या नियंत्रणकर्ता व्यक्ति से प्राप्त एक स्व:प्रमाण पर निर्भर कर सकेगी;

(ख) रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था यह अवधारित करेगी कि क्या खाता-धारक एक लाभ न लेने वाली वित्तीय संस्था है और ऐसे मामले में नियम 114 छ के उप नियम (1) के खंड (ज) के अनुसार खाता धारक को किए गए किसी भी संदाय की रिपार्ट की जानी चाहिए।

7. उप नियम (1) से (6) में विनिर्दिष्ट अपेक्षा के तत्परता से कार्यान्वियन में निम्नलिखित अतिरिक्त प्रक्रियाएं लागू होंगी अर्थात:-

(क) रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था को स्व: प्रमाणन या दस्तावेजी साक्ष्य पर निर्भर नहीं हो सकेगी यदि रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था को पता है या उसके पास यह जानने का कारण है कि स्व: प्रमाणन या दस्तावेजी प्रमाण गलत है अथवा अविश्वसनीय हैं ;

(ख) एक रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था यह उपधारणा कर सकेगी कि बीमा संविदा या एक वार्षिकी संविदा का नकद मूल्य को मत्यु संबंधी फायदे प्राप्त करने वाले व्यक्ति लाभार्थी (स्वामी को छोड़कर) एक रिपोर्ट योग्य व्यक्ति नहीं है और ऐसे वित्तीय खाते को एक रिपोर्ट योग्य खाते के अलावा एक अन्य खाते के रूप में तब तक मान सकती है जब तक कि रिपोटकर्ता वित्तीय संस्था को वास्तविक रूप से यह जानकारी न हो या उसके पास यह जानने का कारण न हो कि लाभार्थी एक रिपोर्ट योग्य व्यक्ति है।

परंतु यदि एक रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था के पास यह वास्तविक जानकारी है या उसके पास यह जानने का कारण है कि फायदा ग्राही एक रिपोर्ट योग्य व्यक्ति है, रिपोर्टकर्ता को उप नियम (3) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करना चाहिए ;

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, एक रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था के बारे में समझा जाएगा कि उसके पास यह जानने का कारण है कि बीमा संविदा या एक वार्षिकी संविदा के नकद मूल्य का फायदा ग्राही एक रिपोर्ट योग्य व्यक्ति है यदि रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के अनुसार उसके पास उप नियम (3) के खंड (ख) के फायदा ग्राही के संबंध में विनिर्दिष्ट सबूत हैं।

(ग) खाते की अति शेष राशि तथा मुद्रा संकलन के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया लागू होगी, अर्थात:-

(i) किसी व्यक्ति द्वारा धारित वित्तीय खातों में कुल अतिशेष राशि या मूल्य अवधारित करने के प्रयोजन के लिए, एक रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था को अपने पास अथवा संबंधित कंपनी द्वारा रखे गए सभी वित्तीय खातों का योग करना होगा, परंतु केवल उस सीमा कि उस रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था की कंप्यूटरीकृत प्रणाली डाटा तत्वों, जैसे ग्राहक संख्या या करदाता पहचान संख्या प्रति निर्देश से वित्तीय खातों, को आपस में लिंक करती है और खातों में अतिशेष राशि या मूल्यों के योग को अनुमति देती है ;

(ii) किसी कंपनी द्वारा धारित वित्तीय खातों में कुल अतिशेष अथवा मूल्य अवधारित करने के लिए, किसी रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था को अपने पास अथवा एक संबंधित कंपनी द्वारा रखे जा रहे सभी वित्तीय खातों पर विचार करना होगा, परंतु केवल उस सीमा तक कि उसे रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था की कंप्यूटरीकृत प्रणाली डाटा तत्वों, जैसे ग्राहक संख्या या करदाता पहचान संख्या के प्रतिनिर्देश में वित्तीय खातों को आपस में लिंक करती है और खातों में अतिशेष या मूल्यों के योग की अनुमति देती है ;

(iii) किसी व्यक्ति द्वारा धारित वित्तीय खातों में कुल अतिशेष या मूल्य अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए अवधारित करने के लिए कि एक वित्तीय खाता एक उच्च मूल्य खाता है या नहीं, एक रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था को, ऐसे किसी वित्तीय खातों के मामले में कि संबंध प्रबंधक यह जानता है, या उसके पास यह जानने का कारण है कि ये प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: एक ही व्यक्ति के (एक न्यासी की हैसियत से बिन) धारित, स्वामित्वाधीन उसके द्वारा नियंत्रित अथवा स्थापित किए गए है, ऐसे सभी खातों का भी योग करना होगा;

(iv) नियम 114 च, 114 छ और इस नियम के प्रयोजनों के लिए, रुपयों में अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पदाभिहित किसी अन्य अनुज्ञेय मुद्रा (यू. एस. डॉलर को छोड़कर) में धारित खातों के मामले में रिपोटिंग अवधि के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दरों के अनुसार राशि को यू. एस. डॉलर में संपरिवर्तित किया जाएगा और यू. एस. डॉलर में संपरिवर्तित इस राशि को इन नियमों के अधीन वित्तीय खातों में शेष या मूल्य अवधारित करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।

स्पष्टीकरण **1** : इस खंड के प्रयोजनों के लिए संयुक्त रूप से धारित वित्तीय खाते का प्रत्येक धारक आवश्यकताओं के संकलन को लागू करने के प्रयोजनों के लिए संपूर्ण शेष या संयुक्त रूप से धारित वित्तीय खातों के संपूर्ण मूल्य के लिए उत्तरदायी होगा ।

(8) 1 जुलाई, 2014 को या उसके पश्चात परंतु फाटका करार के लागू होने की तारीख से पहले खोले गए अमरीकी रिपोर्टयोग्य खाते के मामले में, नए खातों के लिए इस नियम के उप-नियम (4) या उप-नियम (6) में विनिर्दिष्ट सम्यक तत्परता की पद्धतियों के होते हुए भी, रिपोर्ट करने वाली वित्तीय संस्था कथित उप-नियमों में विनिर्दिष्ट पद्धतियों के स्थान पर निम्नलिखित वैकल्पिक पद्धत्तियों को लागू करे, अर्थात:-

(क) फाटका करार के लागू होने की तारीख के पश्चात एक वर्ष के भीतर, रिपोर्ट करने वाली वित्तीय संस्था: (ii) 1 जुलाई, 2014 को या इसके बाद परंतु फाटका करार के लागू होने की तारीख से पहले खोले गए नए व्यक्तिगत खाते के संदर्भ में, उप-नियम (4) में विनिर्दिष्ट स्व-प्रमाणन के लिए अनुरोध करेंगे और उप-नियम (4) में वर्णित पद्धतियों के अनुरूप ऐसे स्व-प्रमाणन के औचित्य की पुष्टि करेंगे, और (ii) 1 जुलाई, 2014 को या इसके बाद परंतु फाटका करार के लागू होने की तारीख से पहले खोले गए नए कंपनी खाते के संदर्भ में, उप-नियम (6) में विनिर्दिष्ट सम्यक तत्परता की पद्धतियों का पालन करेंगे और उप-नियम (6) के अधीन अपेक्षित किसी स्व-प्रमाणन सहित, खाते का प्रमाण देने के लिए यथावश्यक सूचना के लिए अनुरोध करेंगे;

(ख) रिपोर्ट करने वाली वित्तीय संस्था अनिवार्य रूप से किसी नए खाते पर रिपोर्ट करेगा जो कि इस उप-नियम के खंड (क) के अनुसारण में अमरीकी रिपोर्ट करने योग्य खाते या गैर-भागीदारी वित्तीय संस्था द्वारा धारित खाते, यथा लागू, के रूप में उस तारीख तक अभिज्ञात हो, जो कि निम्नलिखित के बाद हों:-

(i) खाते के अमरीकी रिपोर्ट करने योग्य खाते या गैर- भागीदारी वित्तीय संस्थान द्वारा धारित खाते, यथा लागू, अभिज्ञात होने की तारीख के बाद अगली 31 मई, और

(ii) खाते के अमरीकी रिपोर्ट करने योग्य खाते या गैर-भागीदारी वित्तीय संस्था द्वारा धारित खाते, यथा लागू, अभिज्ञात होने के पैंतालीस दिन बाद;

परंतु ऐसे नए खाते की संदर्भ में बाबत रिपोर्ट किए जाने के लिए अपेक्षित सूचना ऐसी सूचना होगी जो नए खाते के अमरीकी रिपोर्ट करने योग्य खाते या गैर-भागीदारी वित्तीय संस्था द्वारा धारित खाते, यथा लागू, अभिज्ञात होने की स्थिति में उस तारीख को रिपोर्ट करने योग्य होगी जिस तारीख को खाता खोला गया था;

(ग) उस तारीख तक अर्थात फाटका करार के लागू होने की तारीख के एक वर्ष बाद, रिपोर्ट करने वाली वित्तीय संस्थाओं को, खंड (क) में वर्णित किसी भी नए खाते को बंद करना चाहिए जिसके लिए वह इस खंड (ख) में विर्दिष्ट पद्धतियों के अनुसार अपेक्षित स्व-प्रमाणन या अन्य दस्तावेज एकत्र करने में सक्षम नहीं थे ।

परंतु, इसके अतिरिक्त, ऐसी तारीख तक विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्थाओं को (i) उन बंद खातों के संदर्भ में, जो इनके बंद होने से पहले नए व्यक्तिगत खाते थे (भले ही ये खाते उच्च मूल्य के खाते हों), को ध्यान में न रखते हुए, उप-नियम (3) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट सम्यक तत्परता की पद्धतियों का पालन करना चाहिए, या (ii) उन बंद खातों के संदर्भ में, जो इनके बंद होने से पहले नए कंपनी खाते थे, उप-नियम (5) में विनिर्दिष्ट सम्यक तत्परता की पद्धतियों का पालन करना चाहिए; और

(घ) रिपोर्ट करने वाली वित्तीय संस्था किसी भी बंद खाते जो इस उप-नियम के खंड(ग) के अनुसार अमरीकी रिपोर्ट करने योग्य खाते या गैर-भागीदारी वित्तीय संस्था द्वारा धारित खाते, यथा लागू अभिज्ञात हो, के संदर्भ में नियम 114 छ में विनिर्दिष्ट सूचना को अनिवार्य रूप से उस तारीख तक रिपोर्ट करना चाहिए जो कि :

(i) खाते के अमरीकी रिपोर्ट करने योग्य खाते या गैर-भागीदारी वित्तीय संस्थान द्वारा धारित खाते, यथा लागू, अभिज्ञात होने की तारीख के बाद अगली 31 मई

(ii) खाते के अमरीकी रिपोर्ट करने योग्य खाते या गैर-भागीदारी वित्तीय संस्थान द्वारा धारित खाते, यथा लागू, अभिज्ञात होने के पैंतालीस दिन बाद, जो भी बाद में हो ;

परंतु उन सभी नए कंपनी खातों या 1 जुलाई, 2014 या इसके बाद परंतु 1 जनवरी, 2015 से पहले खोले गए अमरीकी रिपोर्ट करने योग्य खातों के स्पष्ट रूप से अभिज्ञात समूह के संदर्भ में रिपोर्ट करने वाली वित्तीय संस्था खंड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट पद्धतियों के बदले ऐसे खातों को पूर्व-विद्यमान कंपनी खातों के रूप में माने और उप-नियम (5) में विहित पूर्व-विद्यमान कंपनी खातों से संबंधित सम्यक तत्परता की पद्धतियों को लागू करे, चाहे उप-नियम (5) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट खाता अतिशेष या मूल्य की अवसीमा कितनी भी हो ।'

3. उक्त नियमों में, प्ररूप 61क के पश्चात परिशिष्ट-II में निम्नलिखित प्ररूप को अतं:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"प्रपत्र सं. **61**ख

[देखें नियम 114 छ का उप-नियम (8)]

आयकर अधिनियम**, 1961** की धारा 285 ख क (1) (ट) के तहत रिपोर्ट करने योग्य खाते का विवरण

भाग क **:** विवरण ब्यौरे

(यह सूचना एक साथ प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के प्रत्येक विवरण के लिए प्रदान की जाए)

क.**1**	**रिपोर्ट करने वाली कंपनी का ब्यौरा**	
क.1.1	कंपनी संस्था का नाम	
क.1.2	आईटीडीआरईआईएन	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ].[ ][ ][ ][ ][ ]
क.1.3	ग्लोबल मध्यवर्ती पहचान संख्या (जीआईआईएन)	
क.1.4	पंजीकरण संख्या	
क.1.5	रिपोर्टिंग संस्था श्रेणी	[ ][ ] 2वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
क.**2**	विवरण ब्यौरे	
क.2.1	विवरण का प्रकार	[ ][ ] 2वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
क.2.2	विवरण संख्या	
क.2.3	मूल विवरण पहचान पत्र	
क.2.4	सुधार के लिए कारण	[ ] 1 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
क.2.5	विवरण की तारीख	
क.2.6	रिपोर्टिंग अवधि	
क.2.7	रिपोर्ट का प्रकार	[ ] 1 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
क.2.8	रिपोर्ट की संख्या	
क.**3**	**प्रधान अधिकारी ब्यौरे**	
क.3.1	प्रधान अधिकारी का नाम	
क.3.2	प्रधान अधिकारी का पदनाम	
क.3.3	प्रधान अधिकारी का पता	
क.3.4	शहर/नगर	
क.3.5	डाक कोड	

क.3.6	राज्य कोड	☐☐ 2 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
क.3.7	देश कोड	☐☐ 2 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
क.3.8	टेलीफोन	
क.3.9	मोबाइल	
क.3.10	फैक्स	
क.3.11	ईमेल	

भाग ख : रिपोर्ट ब्यौरे

(यह सूचना रिपोर्ट किए जा रहे प्रत्येक खाते के लिए प्रदान की जाए)

ख.1	खाते के ब्यौरे (प्रतिवेदित किए जा रहे प्रत्येक खाते के लिए प्रदान किया जाना है)	
ख.1.1	रिपोर्ट का क्रम संख्याक	
ख.1.2	मूल रिपोर्ट का क्रम संख्याक	
ख.1.3	खाते का प्रकार	☐☐ 2 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.1.4	खाता संख्या	
ख.1.5	खाता संख्या का प्रकार	☐ 1 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.1.6	खाताधारक का नाम	
ख.1.7	खाते की प्रास्थिति	☐ 1 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.1.8	खाता उपचार	☐ 1 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.1.9	स्व: प्रमाणन	☐ 1 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.1.10	प्रलेखन प्रास्थिति	☐ 1 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.1.11	खाते के बंद होने की तारीख, यदि उक्त वर्ष के दौरान बंद हुआ हो	
ख.2	**शाखा संबंधी ब्यौरे**	
ख.2.1	शाखा संख्या का प्रकार	☐ 1 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.2.2	शाखा संदर्भ संख्या	
ख.2.3	शाखा का नाम	
ख.2.4	शाखा पता	
ख.2.5	शहर/नगर	
ख.2.6	डाक कोड	
ख.2.7	राज्य कोड	☐☐ 2 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.2.8	देश कोड	☐☐ 2 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.2.9	टेलीफोन	
ख.2.10	मोबाइल	
ख.2.11	फैक्स	
ख.2.12	ईमेल	

ख.3	**खाता सार**	
ख.3.1	रिपोर्ट करने की अवधि के अंत में खाता अति शेष या मूल्य	
ख.3.2	संदत्त या जमा कुल सकल ब्याज	
ख.3.3	संदत्त या जमा कुल सकल लाभांश	
ख.3.4	संपत्ति की बिक्री से सकल आय	
ख.3.5	अन्य सभी संदत्त या जमा आय की कुल सकल राशि	
ख.3.6	जमा कुल सकल राशि	
ख.3.7	विकलित कुल सकल राशि	
ख.4	**व्यक्तिगत ब्यौरे (व्यक्तिगत खाताधारक के लिए प्रदान किया जाए है)**	
ख.4.1	नाम	
ख.4.2	ग्राहक पहचान-पत्र	
ख.4.3	पिता का नाम	
ख.4.4	पति/पत्नी का नाम	
ख.4.5	लिंग	☐ 1 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें (निर्देश देखें)
ख.4.6	पैन	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
ख.4.7	आधार संख्या	
ख.4.8	पहचान प्रकार	☐ 1 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.4.9	पहचान संख्या	
ख.4.10	व्यवसाय का प्रकार	☐ 1 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.4.11	व्यवसाय	
ख.4.12	जन्म तारीख	
ख.4.13	राष्ट्रीयता	☐☐ 2 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.4.14	कर कानून के अनुसार निवास का देश	☐☐ 2 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.4.15	जन्म स्थान	
ख.4.16	जन्म का देश	☐☐ 2 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.4.17	टैक्स निवासी देश द्वारा आवंटित कर पहचान संख्या(टिन)	
ख.4.18	टिन जारी करने वाला देश	☐☐ 2 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.4.19	पता प्रकार	☐☐ 2 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.4.20	पता	
ख.4.21	शहर/नगर	
ख.4.22	डाक कोड	
ख.4.23	राज्य कोड	☐☐ 2 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.4.24	देश कोड	☐☐ 2 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.4.25	मोबाइल /टेलीफोन नंबर	

ख.4.26	अन्य संपर्क नंबर	
ख.4.27	टिप्पणियां	

ख.5	विधिक कंपनी के ब्यौरे कंपनी खाता धारक के लिए प्रदान किया जाए है	
ख.5.1	कंपनी का नाम	
ख.5.2	ग्राहक की पहचान	
ख.5.3	अमेरिका रिपोर्टयोग्य व्यक्ति के लिए खाताधारक प्रकार	2 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.5.4	अन्य रिपोर्टयोग्य व्यक्ति के लिए खाताधारक प्रकार	2 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.5.5	कंपनी के गठन का प्रकार	1 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.5.6	निगमन की तारीख	
ख.5.7	कारबार की प्रकृति	
ख.5.8	पैन	
ख.5.9	पहचान प्रकार	1 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.5.10	पहचान संख्याक	
ख.5.11	पहचान पत्र जारी करने वाला देश	2 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.5.12	निगमन का स्थान	
ख.5.13	निगमन का देश	2 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.5.14	कर विधि के अनुसार निवास का देश	2 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.5.15	टैक्स निवासी देश से आवंटित कर पहचान संख्या(टिन)	
ख.5.16	टिन जारी करने वाला देश	2 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.5.17	पता प्रकार	1 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.5.18	पता	
ख.5.19	शहर/कस्बा	
ख.5.20	डाक कोड	
ख.5.21	राज्य कोड	2 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.5.22	देश कोड	2 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.5.23	मोबाइल /टेलीफोन नंबर	
ख.5.24	अन्य संपर्क नंबर	
ख.5.25	टिप्पणियां	

ख.6	नियंत्र व्यक्ति अधिकारी संबंधी ब्यौरे नियंत्रण व्यक्ति के लिए प्रदान की जाएगी	
ख.6.1	नियंत्रक व्यक्ति का प्रकार	3वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.6.2	नाम	

ख.6.3	ग्राहक की पहचान	
ख.6.4	पिता का नाम	
ख.6.5	पति/पत्नी का नाम	
ख.6.6	लिंग	☐ वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.6.7	पैन	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
ख.6.8	आधार संख्या	
ख.6.9	पहचान प्रकार	☐ वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.6.10	पहचान संख्या	
ख.6.11	व्यवसाय का प्रकार	☐ वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.6.12	व्यवसाय	
ख.6.13	जन्म की तारीख	
ख.6.14	राष्ट्रीयता	☐☐ 2 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.6.15	कर विधि के अनुसार निवास का देश	☐☐ 2 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.6.16	जन्म स्थान	
ख.6.17	जन्म का देश	☐☐ 2 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.6.18	कर निवासी देश से आवंटित कर पहचान संख्या(टिन)	
ख.6.19	टिन जारी करने वाला देश	☐☐ 2 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.6.20	पता प्रकार	☐☐ 2 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.6.21	पता	
ख.6.22	शहर/नगर	
ख.6.23	डाक कोड	
ख.6.24	राज्य कोड	☐☐ 2 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.6.25	देश कोड	☐☐ 2 वर्ण कोड अंत:स्थापित करें
ख.6.26	मोबाइल /टेलीफोन नंबर	
ख.6.27	अन्य संपर्क नंबर	
ख.6.28	टिप्पणियां "	

[अधिसूचना सं. 62/2015/फा. सं. 142/21/2015 टीपीएल]

गौरव कनौजिया,निदेशक

टिप्पण- मूल नियम तारीख 26, मार्च 1962 की अधिसूचना का.आ. 969 (अ.) द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिनमें अंतिम बार तारीख 29.07.2015 की अधिसूचना का.आ. 2070 (अ.), द्वारा आय कर (10वां संशोधन) नियम, 2014 द्वारा संशोधन किया गया था।